

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017—भाद्र 17, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्तापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 26 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उहें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-910-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., को नीचे दर्शाए गये विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- दिनांक 8 नवम्बर 2016 से 6 मई 2017 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश.
- दिनांक 7 मई से 13 जून 2017 तक, अड़तीस दिन का लघुकृत अवकाश.

3. दिनांक 14 जून से 11 अक्टूबर 2017 तक, एक सौ बीस दिन का अर्जित अवकाश.
4. दिनांक 12 अक्टूबर 2017 से 30 मार्च 2018 तक, एक सौ सतत दिन की चाइल्ड केयर लीव.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती घण्मुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्र. ई-270-2017-5-एक.—श्रीमती सोनाली पोंके वायंगणकर, भाप्रसे (2000), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सोनाली पोंके वायंगणकर द्वारा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रेश्मि, भाप्रसे (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् तथा संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

क्र. ई-1-272-2017-5-एक.—सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 14 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, तेईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. ई-1-279-2017-5-एक.—श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (1998), आयुक्त-सह-संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार), मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (1998) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, संस्कृति विभाग तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 3 से 18 अक्टूबर 2017 तक, सोलह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 1, 2 अक्टूबर 2017 एवं दिनांक 19, 21, 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती बीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती बीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-642-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 8 से 22 अगस्त 2017 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. ई-1-276-2017-5-एक.—श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे (2008), संचालक, पंचायतीराज को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 4 जनवरी से 2 जुलाई 2017 तक, एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 जुलाई से 2 सितम्बर 2017 तक, बासठ दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 21 से 26 अगस्त 2017 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को भारत सरकार के DFFT कार्यक्रम के अन्तर्गत Cambridge University United Kingdom में दिनांक 18 से 23 सितम्बर 2017 तक, छः दिन तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 सितम्बर 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. ई-5-1025-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. ई-1-277-2017-5-एक.—श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-277-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2017, जिसके द्वारा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल पदस्थ किया गया है। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री जांगिड को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-286-2017-5-एक.—श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे (2011), अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर इन्दौर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 जून से 30 जून 2017 तक मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 जून से 30 जून 2017 तक आयोजित विदेश ट्रेनिंग के अनुक्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 द्वारा दिनांक 1 जुलाई से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 1 जुलाई 2017 से स्टडी टूर समाप्ति उपरान्त विभाग के अधीन पेलेटिव केयर एवं बोनमेरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना हेतु

निष्पादित एम.ओ.यू. पर चर्चा हेतु श्रीमती गोविल को यूएसए में दो दिवस अतिरिक्त रुकने की अनुमति प्रदान किये जाने के अनुक्रम में स्वीकृत एक्स इंडिया अवकाश संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 4 जुलाई 2017 का एक दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(3) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्:

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. बी-1-131-2017-2-एक.—श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2014), डिप्टी कलेक्टर एवं उपायुक्त, भू-अभिलेख, जबलपुर द्वारा स्वयं की नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला बिलासपुर (छ.ग.) करने का अनुरोध करते हुए प्रासांगिक दस्तावेज संलग्न कर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे, डिप्टी कलेक्टर एवं उपायुक्त, भू-अभिलेख, जबलपुर के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित विभाग के परिपर दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला बिलासपुर (छ.ग.) परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. एक 1(ए)31-2007-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2017 द्वारा श्री के. सी. जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर, जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदाम, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नलिखितों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता हैः—

1. डॉ. रजनी भण्डारी, 38, अशोकनगर, जिला इन्दौर.
2. श्रीमती अमिता जैन, ए-143, अलकापुरी, हबीबगंज, जिला भोपाल.
3. श्रीमती अंजु मिश्रा, 24/279, अर्जुन नगर, जिला रीवा
4. श्री आशीष कपूर, डी-51, अलकापुरी, जिला रतलाम

(2) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री बाबूलाल जाट, निवासी वार्ड क्र. 1, नीलकंठ रोड, थाना नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है।

(2) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत श्री बाबूलाल जाट का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 1578-1481-2017-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम (4) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता हैः—

सारणी

अनु. क्र.	अधिकारी का नाम (1)	अधिनियम की धारा (2)	क्षेत्र (3)	क्षेत्र (4)
1	श्रीमती मंगला पुरकाम,	धारा 29	भोपाल	असिस्टेंट, रजिस्ट्रार फर्म्स
				मुख्यालय एवं संस्थाएं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ही. के. बरेनिया, उपसचिव,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

सूचना

क्र. एफ-3-117-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19

की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा टीकमगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
 2. कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
 4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. एफ-3-117-2016-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्र एफ-3-117-2016-अठारह-5, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 29th August 2017

NOTICE

No. F-3-117-2016-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Tikamgarh, 2031 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the

said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Sagar Division, Sagar, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Tikamgarh, Madhya Pradesh.
3. C.M.O., Municipal Council Tikamgarh, Madhya Pradesh.
4. Assistant Director, Town & Country Planning, Distt. Office Chhatrpur, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973:—

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-24-2013-छ.:—मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गई है। इस योजना से संबंधित नियम राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जून 2012 में प्रकाशित किये गये हैं। उक्त योजना में प्रदेश के बाहर 17 प्रमुख तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, इस योजना के तहत विचारोपरान्त नवीन चयनित तीर्थस्थल श्री रामदेवरा, जैसलमेर (राजस्थान) को सम्मिलित करता है।

मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/एफ 15-20/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम—1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम—2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम—04 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	दमोह	दमोह	जामुनखोर	आर.एफ.—104	52.00	पूर्व— कक्ष क्रमांक आर.एफ. 103 की पश्चिमी सीमा। पश्चिम— कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104 उत्तर— कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104 दक्षिण— कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-15-20-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-20-2017-दस-2, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th August 2017

No./F 15-20/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Ha)	Boundaries
1.	Damoh	Damoh	Jamunkhor	RF- 104	52.00	East- Western Boundary of Compartment no. RF 103. West- Compartment no. RF 104. North- Compartment no. RF 104. South- Compartment no. RF 104.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक / एफ 15-22/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत

राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाएँ
1.	रत्लाम	शिवगढ़	राजापुरा माताजी वन विश्राम गृह	आरक्षित वन-67	251.264	पूर्व—आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 168 से मुनारा क्र. 186 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम—आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 139 से मुनारा क्र. 155 तक कृत्रिम वन सीमा। उत्तर—आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 155 से मुनारा क्र. 168 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण—आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 186 से मुनारा क्र. 195, वन कक्ष सीमा आर-66 एवं मुनारा क्र. 137 से 139 तक कृत्रिम वन सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-15-22-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-22-2017-दस-2, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th August 2017

No./F 15-22/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Ratlam	Shivgarh	Rajapura mataji Forest Rest House	RF-67	251.264	<p>East-Artificial Boundary Reserved Block From Pillar no. 168 To 186</p> <p>West- Artificial Boundary of Reserved Block From Pillar no. 139 To 155</p> <p>North-Artificial Boundary of Reserved Block From Pillar no. 155 To 168</p> <p>South-Artificial Boundary of Reserved Block From Pillar no. 186 To 193, For Boundary R-66 and pillar 137 to 139</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 114-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैं— भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन —

(क)	जिला	:	खण्डवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	जलकुआ
(घ)	अर्जित रकबा / क्षेत्रफल	:	0.830 हैक्टेयर

अ.कं.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मांगाबिसन, श्रीराम, जगदीश, रमेश पिता कन्हैया, गीताबाई पुत्री कन्हैया, यशवंत, देवेन्द्र पिता अर्जुन, रामकुंवरबाई पुत्री अर्जुन, लीलाबाई वि. कन्हैया, सुशीलाबाई, सुन्दरबाई पुत्री कन्हैया	48	0.79	0.100	0.00	0.100	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खण्डवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग छाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	रूपराम पिता राजाराम	46/6	0.08	0.020	0.00	0.020	
3	रामनिवास पिता राजाराम	46/3	2.40	0.050	0.05	0.00	
4	प्रकाश पिता राजाराम	46/2	2.40	0.050	0.05	0.00	
5	सुभाष पिता राजाराम	46/1	1.20	0.050	0.05	0.00	
6	रामसिंह पिता हिरालाल	45/1	1.49	0.060	0.06	0.00	
7	ईश्वरसिंह पिता हिरालाल	45/2	1.49	0.060	0.06	0.00	
8	दीपक, भूपेन्द्र पिता विजयसिंह	53/1	0.98	0.030	0.03	0.00	
9	चंद्रपाल पिता चामटा	53/2	0.98	0.030	0.03	0.00	

10	भारतसिंह, फूलसिंह, पूरणसिंह पिता रामपाल, नीलाबाई, कमीबाबाई पुत्री रामपाल, बसुबाई वि. रामपाल	54/2	1.54	0.030	0.03	0.00	
11	चिरोंजीलाल पिता राजाराम	46/10	0.04	0.010	0.00	0.01	
12	गुलाबचंद पिता गजानन	46/5 46/8	1.11	0.090	0.09	0.00	
13	गजरी पति शंभूदयाल	51/1,	0.40	0.020	0.00	0.02	
		51/2	0.40	0.020	0.00	0.02	
14	हीरालाल पिता मौजीलाल	51/3	0.87	0.040	0.00	0.04	
15	कृष्णसिंह पिता मौजीलाल	51/9	0.40	0.030	0.00	0.03	
16	सरला पति हरिराजसिंह	51/5	0.60	0.040	0.040	0.00	
		51/6	0.60	0.090	0.090	0.00	
17	पंकजकुमार पिता हरिराजसिंह	51/8	0.10	0.010	0.010	0.00	
कुल कृषक-17		कुल रकबा – 0.83है। सिंचित— 0.590है। असिंचित— 0.240है।					

नोट :—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 116-2016-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 3-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार आनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:— भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन —

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| (क) | जिला | : | खंडवा |
| (ख) | तहसील | : | पुनासा |
| (ग) | ग्राम | : | डाबरी |
| (घ) | अर्जित रकबा / क्षेत्रफल | : | 0.85 हैक्टेयर |

अ.कं.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल रकबा	संचित	असंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायण पिता भागीरथ	2/1	4.34	0.06	0.06	0.00	
2	लखन पिता भागीरथ	2/2	4.34	0.06	0.06	0.00	
3	माखन पिता भागीरथ	2/3	4.34	0.06	0.00	0.06	
4	चंपालाल पिता मनफूल	3/1	1.95	0.03	0.00	0.03	
5	राजाराम पिता मनफूल	3/2	1.95	0.03	0.00	0.03	
6	बलीराम पिता मनफूल	3/3	0.09	0.03	0.00	0.03	
		4/1	1.86				
7	सोहनलाल पिता तुलाराम	4/2	1.92	0.05	0.00	0.05	
8	पन्नालाल पिता तुलाराम	5/1	1.72	0.06	0.00	0.06	
9	राधेश्याम पिता देवराम	6/1	0.88	0.07	0.00	0.07	
10	लिमाजी, गुलाबदास पिता दयाराम, मीरा, सुशीला, लक्ष्मी, कलाबाई पुत्री दयाराम, गहना बेवा दयाराम नंदू पिता मयाराम लीला बेवा मयाराम	189/1 191/1	0.35 0.40	0.05	0.00	0.05	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमांतिया से बांगरदा पहुंच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
11	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा शोभा पति भरतकुमार जैन	189/5	0.40	0.03	0.00	0.03	
12	मेहूल पिता रावजी	191/3	0.20	0.02	0.00	0.02	
13	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा जैन अरुण कुमार पिता माणकचंद	191/4	0.27	0.02	0.00	0.02	
14	दीपक पिता किशनचंद	191/5	0.20	0.02	0.00	0.02	
15	जगन्नाथ पिता सोमा	194/1	1.16	0.15	0.00	0.15	
16	जम्बू कुमार पिता अरुण कुमार जैन	195/1 195/2	0.15 0.17	0.05	0.00	0.05	
17	सुचित्रा पति राजकुमार	196/5 197/1	0.05 0.08	0.05	0.00	0.05	
18	शिल्पा पति शिरीष	196/4	0.05	0.01	0.00	0.01	
	कुल— कृषक 18		कुल रकबा —0.85हेठो संचित — 0.12हेठो असंचित— 0.73हेठो				

नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू—अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 117-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 8-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैं:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क)	जिला	:	खंडवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	बिजोरामाफी
(घ)	अर्जित रकबा / क्षेत्रफल	:	1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि + 0.620 हैक्ट.आवासीय भूमि

अ.क्र.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रघुवीर पिता अमरसिंह	10/3	1.60	0.09	0.09	0.00	कार्यपालन यंत्री
2	इंदरसिंह पिता गजराजसिंह	11/3	1.96	0.04	0.04	0.00	लोक. निर्माण विभाग
3	गुलाबसिंह पिता रामाजी	15/1 16/1	1.64 1.32	0.44	0.44	0.00	खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा
4	अमानसिंह पिता सुभान	222/1	0.94	0.02	0.02	0.00	पहुच मार्ग छाया धारकवाडी, गुलगांव,
5	भीमसिंह पिता अमानसिंह	222/3	1.000	0.01	0.01	0.00	जामकोटा, जलकुआ
6	सीताराम पिता नैवसिंह	222/2	0.20	0.03	0.00	0.03	बांगरदा लंबाई 16.20
7	जगन्नाथ पिता रामा	223/1	0.70	0.05	0.05	0.00	कि.मी. के निर्माण
8	बाबू पिता रामा	240/2	0.65	0.02	0.00	0.02	हेतु
9	श्रीराम पिता फत्तूलाल	240/1	0.66	0.03	0.03	0.00	
10	मानसिंह, रामसिंह पिता बोंदरसिंह, लीलाबाई वि०	241/1	2.000	0.130	0.130	0.00	

11	मनसिंह , रामसिंह पिता बोंदर सुशीलाबाई, उषाबाई पुत्री बोंदरसिंह, लीलाबाई पुत्री बोंदरसिंह	241/2	0.490	0.040	0.040	0.000	
12	कमलसिंह पिता गेंदसिंह	247/1	0.360	0.040	0.000	0.040	
13	राधेश्याम पिता सोमाजी	247/2	0.370	0.040	0.000	0.040	
14	हरलाल पिता दौला	248/2	1.400	0.040	0.040	0.000	
15	सुखदेव पिता दौला	248/3	1.400	0.010	0.010	0.000	
16	कैलाश पिता जलाल	265/1	2.210	0.030	0.000	0.030	
17	मांगया पिता मोहब्बत	265/2	1.110	0.080	0.000	0.080	
18	रामप्रसाद पिता मोहन	266/1	0.420	0.090	0.000	0.090	
19	नारायण पिता रामप्रसाद	266/2	0.420	0.050	0.050	0.000	
20	सुरेन्द्र पिता रामप्रसाद	266/3	0.420	0.030	0.030	0.000	
21	बलीराम पिता रामप्रसाद	266/4	0.420	0.030	0.030	0.000	
22	पन्नालाल पिता रामप्रसाद	266/5	0.420	0.020	0.020	0.000	

आवासीय भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल व जानकारी :-

अ.क्र.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित अर्जित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन	
					2	3
1	भवरबाईपति दातारसिंह	217	0.710	0.010		
2	रुघनाथ पिता नारायण	217	0.710	0.010		
3	ईश्वर पिता गजराज	217	0.710	0.010		
4	नरेन्द्र पिता झबरसिंह	217	0.710	0.010		
5	सरदार पिता प्यारसिंह	217	0.710	0.010		
6	निलाबाई वि बोंदर	218	0.870	0.010		
7	अर्जुन पिता अनोपसिंह	279	0.870	0.010		
8	बबलू पिता अर्जूनसिंह	279	0.870	0.010		
9	सुरेन्द्र पिता गिरवर	279	0.870	0.010		
10	हरनाथ पिता कमल	279	0.870	0.010		
11	प्रभात पिता कालू	279	0.870	0.010		
12	मानसिंह पिता बोंदर	278	2.500	0.010		
13	कैलाश पिता रायसिंह	278	2.500	0.010		

कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु

14	श्रीकिशनपिता फूलसिंह	278	2.500	0.010
15	हरेसिंह पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
16	शंकर पिता मोहनसिंह	278	2.500	0.010
17	गोविंद पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
18	दरियाव पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
19	ओम पिता इंदरसिंह	278	2.500	0.010
20	कमलसिंहपिता गेंदसिंह	277/1	1.800	0.010
21	रामदासपिता कमलसिंह	277/1	1.800	0.010
22	कमल पिता मंगू	277/1	1.800	0.010
23	सुकलू पिता झाबराव	277/1	1.800	0.010
24	रिक्त शासकीय प्लाट	277/1	1.800	0.010
25	राधेश्याम पिता सोमाजी	277/1	1.800	0.010
26	सौदान पिता अनारसिंह	277/1	1.800	0.010
27	छीतर पिता सौमाजी	277/2	2.000	0.010
28	रमेश पिता रामलाल	277/2	2.000	0.010
29	बंदू पिता राजराम	277/2	2.000	0.010
30	प्रकाश पिता अमान	277/2	2.000	0.010
31	जालम पिता टेकचंद	277/2	2.000	0.010
32	लक्ष्मीबाई पति बिहारी	277/2	2.000	0.010
33	देवसिंह	277/2	2.000	0.010
34	गरीबा पिता रामसिंह	277/2	2.000	0.010
35	तुमेर पिता सुखदेव	269	5.430	0.010
36	प्रेमसिंह पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
37	अनिताबाई पति कन्हैया	269	5.430	0.010
38	प्यारसिंह पिता रायसिंह	269	5.430	0.010
39	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
40	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
41	नगीन पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
42	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
43	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
44	दलीप पिता रामसिंह	269	5.430	0.010
45	श्यामा पिता सुभान	269	5.430	0.010

46	भीमसिंह पिता तेजु	269	5.430	0.010	
47	नरेन्द्र पिता मंगल	269	5.430	0.010	
48	उमेनसिंह पिता चैनसिंह	269	5.430	0.010	
49	भीमसिंह पिता शिवनाथ	269	5.430	0.010	
50	दगड़ू पिता झबरसिंह	269	5.430	0.010	
51	दुर्गाबाई पति कैलाश	269	5.430	0.010	
52	पेमा पिता सुभान	269	5.430	0.010	
53	रायसिंह पिता रूपसिंह	269	5.430	0.010	
54	विमल पिता देवराम	269	5.430	0.010	
55	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010	
56	बनारसीबाई पति मोती	269	5.430	0.010	
57	भूपेन्द्र पिता कमल	269	5.430	0.010	
58	शांता बाई पति रायसिंह	269	5.430	0.010	
59	दिनेश पिता सखाराम	269	5.430	0.010	
60	धर्मेन्द्र पिता मंगू	269	5.430	0.010	
61	नहारू	269	5.430	0.010	
62	गोविंद पिता मोहन	269	5.430	0.010	
कुलकृषक—22 कृषि भूमि		कृषि भूमि का कुल प्रस्तावित रकमा— 1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि ,			
आवासीय— 62		सिंचित— 1.03 है। असिंचित— 0.330 हैक्टेयर			
		आवासीय भूमि का कुल प्रस्तावित रकमा — 0.620 हैक्ट. आवासीय			

नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है।
 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 118-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 6-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिंजट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क)	जिला	:	खंडवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	जामकोटा
(घ)	अर्जित रकबा / क्षेत्रफल	:	3.040 हैक्टेयर

आक.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचि-त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बद्रीसिंह पिता मनोहरसिंह	215	3.010	0.070	0.070	0.00	कार्यपालन यंत्री
2	किरणबाई , राजकुमारी, मालतीबाई पुत्री प्यारसिंह, सरोजबाई वि. प्यारसिंह	8/4	0.450	0.080	0.080	0.00	लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमतिया से बांगरदा
3	इंदर उर्फ सनवरियासिंह पिता प्यारसिंह	8/3	0.470	0.170	0.170	0.00	पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20
4	अनिलसिंह पिता प्यारसिंह	8/2	1.200	0.020	0.020	0.00	कि.मी. के निर्माण हेतु
5	परसराम, राजसिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता कोमलसिंह, मंजुबाई, मायाबाई अनुसुईया बाई पुत्री कोमलसिंह	9/1	0.400	0.030	0.030	0.00	
6	राजसिंह पिता कोमलसिंह	9/3	0.980	0.080	0.080	0.00	
7	परसराम पिता कोमलसिंह	9/4	0.980	0.070	0.070	0.00	
8	शैलेन्द्र पिता कोमलसिंह	9/5	0.990	0.060	0.060	0.00	
9	भोलेसिंह पिता किशोरसिंह	23	0.410	0.030	0.00	0.03	
10	लखनलाल पिता अनारसिंह	22	1.270	0.080	0.080	0.00	

11	गजराजसिंह, राजसिंह पिता रूपसिंह, सुधाबाई ममताबाई पिता रूपसिंह सुशीलाबाई वि. रूपसिंह	21/1	1.000	0.080	0.080	0.000	
12	सुशीलाबाई पति रूपसिंह	15/1	1.790	0.240	0.240	0.000	
13	पुष्टेन्द्रसिंह पिता राजसिंह	13	0.120	0.010	0.000	0.010	
14	गोपालसिंह पिता मनोहरसिंह	14	0.080	0.050	0.000	0.050	
15	प्रभाबाई वि. दगड़, कैलाश मुकेश पिता दगड़, छज्जूलाल पिता गोपाल	100/1	0.010	0.010	0.000	0.010	
16	हरिराम पिता सोहनलाल, झापडीबाई संतोषबाई पुत्री सोहनलाल, कैलाश दिनश पिता बाबूलाल, दुर्गा, कांति, शोभा, रेखा पुत्री बाबूलाल छज्जूलाल पिता गोपाल,	101	0.050	0.020	0.000	0.020	
17	रूपसिंह पिता रघुनाथसिंह	102/1	0.020	0.010	0.000	0.010	
18	गणपतसिंह पिता रघुनाथसिंह	102/2	0.030	0.010	0.000	0.010	
19	हुकुमचंद पिता छज्जूलाल	103	0.040	0.010	0.000	0.010	
20	अनिल पिता रामाजी	104	0.020	0.010	0.000	0.010	
21	हिरालाल पिता मोतेसिंह, कुसुमबाई अनिताबाई पुत्री मोतेसिंह	105	0.060	0.010	0.000	0.010	
22	राजसिंह पिता रघुनाथसिंह	106	0.060	0.040	0.040	0.000	
23	दरियावसिंह पिता उमरावसिंह	381	0.010	0.010	0.000	0.010	
24	मांगीलाल पिता उमराव	382	0.020	0.020	0.000	0.020	
25	गंगाबाई पुत्री रामकरण, सुरजलाल श्यामलाल, कालुराम दंदुसिंह पिता रामकरण	384	0.020	0.020	0.000	0.020	
26	मांगीलाल, भागरतीबाई पिता सीताराम	399/1	0.070	0.010	0.000	0.010	
27	दशरथ पिता सीताराम	399/2	0.080	0.010	0.000	0.010	
28	राजसिंह, बाघसिंह पिता गजराजसिंह शंताबाई पुत्री गजराजसिंह, छंदुबाई वि. गुलाबसिंह, गोपीबाई पति चुन्नीलाल, गंगाबाई पुत्री नवलसिंह	397	0.100	0.100	0.000	0.100	

29	बांगसिंह पिता गजराजसिंह	531/1	4.290	0.200	0.200	0.000	
30	चरणसिंह पिता बागसिंह	531/2	2.000	0.080	0.080	0.000	
31	राजसिंह पिता गजराजसिंह	531/3	1.480	0.040	0.040	0.000	
32	राजसिंह पिता गजराजसिंह	530	2.000	0.090	0.090	0.000	
33	भगवानसिंह पिता दगडूसिंह	529/7	1.050	0.020	0.020	0.000	
34	मानसिंह पिता धीसाजी	529/8	0.500	0.030	0.030	0.000	
35	धीसाजी पिता उमराव	529/6	0.100	0.010	0.010	0.000	
36	दगडू पिता उमराव	529/5	1.700	0.050	0.050	0.000	
37	धीसाजी पिता उमराव	529/1	1.700	0.030	0.030	0.000	
38	आशाबाई पति बल्लूसिंह	632/1	2.000	0.130	0.130	0.000	
39	इंदूबाई पति गोविन्दसिंह	632/2	0.800	0.020	0.020	0.000	
40	लक्ष्मणसिंह पिता बाकाजी	633	2.080	0.040	0.040	0.000	
41	देवकीबाई पति मांगीलाल	634	2.500	0.060	0.060	0.000	
42	इंदूबाई पति गजराजसिंह	652/1-2	0.920	0.110	0.110	0.000	
43	गजेन्द्रसिंह पिता मंगुसिंह	638	0.800	0.030	0.030	0.000	
44	भगवानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, मुंशीलाल राकेश पिता भगवानसिंह	527	1.550	0.020	0.020	0.000	
45	नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता दगडूसिंह, संतोषबाई वि. दगडूसिंह	509	3.470	0.120	0.120	0.000	
46	शेराबाई पति दगडूसिंह	508	1.600	0.050	0.050	0.000	
47	झबरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	507	1.230	0.040	0.040	0.000	
48	नरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	506	4.000	0.140	0.140	0.000	
49	गोवदिसिंह पिता झबरसिंह	505	0.460	0.030	0.030	0.000	
50	गोविदसिंह पिता झबरसिंह	504	1.250	0.040	0.040	0.000	

51	इंदूबाई पति गोविंदसिंह	503	0.650	0.030	0.030	0.000	
52	चैनसिंह पिता गोविंदसिंह	502/5	0.400	0.050	0.050	0.00	
53	भागीरथ पिता दरियाव	496	2.230	0.040	0.040	0.00	
54	दगडू पिता मोहनसिंह, अनिल, सुनिल, पिता दगडू	495/3	2.010	0.090	0.090	0.000	
55	दशरथ पिता प्यारसिंह	495/8	1.000	0.030	0.030	0.000	
56	भगवानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	111/1	0.120	0.010	0.010	0.000	
57	रूपसिंह पिता रघुनाथसिंह	110/1	0.360	0.030	0.030	0.000	
58	गणपतसिंह पिता रघुनाथसिंह	109/1	0.360	0.020	0.020	0.000	
	कुल— कृषक—58	कुल रकमा —3.04 है। सिंचित— 2.700 है। असिंचित— 0.340 है।					

नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 119-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 4-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आविकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्ववासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

८।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कांडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कांडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	गुलगांव रेयत
(घ) अर्जित रकबा / क्षेत्रफल	:	3.670 हैक्टेयर

अ. क्र.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पवनसिंह पिता गजराजसिंह	44/2	1.34	0.100	0.100	0.000	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग क्षाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20
2	तुलसीबाई विधवा रामपाल, सुशीलाबाई, ललिता पुत्री रामपाल, शिवपाल पिता रामेश्वर, सुनिता पुत्री रामपाल अ.पा. तुलसाबाई वि. रामपाल	45/4	0.400	0.010	0.000	0.010	किमी. के निर्माण हेतु
3	रमेश पिता बाबूलाल	45/1 45/2	1.70	0.050	0.050	0.000	
4	चंपालाल पिता नथूसिंह	45/3	1.030	0.010	0.000	0.010	
5	भीमसिंह पिता रामप्रसाद	55/1	1.180	0.060	0.000	0.060	
6	शिवनाथ पिता भागीरथ	56	3.350	0.020	0.020	0.000	
7	भारतसिंह पिता रामेश्वर	57	2.770	0.020	0.020	0.000	
8	राजसिंह पिता मांगीलाल	58/1	2.420	0.050	0.050	0.000	
9	लीला प्रसाद पिता गुलाबदास	42/2	1.200	0.030	0.030	0.000	
10	प्यारसिंह पिता ध्यानसिंह	41	1.040	0.010	0.010	0.000	

11	मोतीराम पिता ध्यानसिंह	40/1	1.360	0.020	0.020	0.000	
12	राजाराम उर्फ राज पिता ध्यानसिंह	40/2	1.360	0.020	0.020	0.000	
13	सुरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	38	4.770	0.070	0.070	0.000	
14	नवनीतसिंह पिता कृष्णसिंह	37/1	5.500	0.050	0.050	0.000	
15	नरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	37/2 107	3.670	0.400	0.400	0.000	
16	महेश पिता सौदानसिंह	36/1	1.560	0.020	0.020	0.000	
17	अशोक पिता सौदानसिंह	36/2	1.570	0.020	0.020	0.000	
18	जीवनसिंह पिता किशोरसिंह	33/3	0.800	0.100	0.100	0.000	
19	मांगीलाल बाबूलाल पिता विसराम हरीशंकर पिता छगन सकुवरबाई, लक्ष्मीबाई पुत्री छगन, लक्ष्मण पिता कान्हा आत्मराम अवल पिता छीतर दगडई बाई पुत्री छीतर कमलाबाई वि. छीतर	104	0.030	0.030	0.00	0.030	
20	सजनबाई वि. किशोर, अवलसिंह, जीवनसिंह, रामदास, नरेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह, संतोषबाई, सेवतीबाई, मनुबाई पुत्री किशोरसिंह	100	0.090	0.010	0	0.010	
21	रेशमबाई वि. कृष्णसिंह नरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, नवनीतसिंह पिता कृष्णसिंह, कोकिलाबाई, निकिताबाई पुत्री कृष्णसिंह	99	0.420	0.120	0.12	0.000	
22	आनंद, अर्जुन, भीम, जयसिंह पिता दीलीपसिंह, श्यामूबाई, संतरीबाई, अंगूरीबाई, गुड़डीबाई पुत्री दिलीपसिंह, रामदुलारी बेवा दिलीपसिंह, सौदान, सूरज, कमल पिता किशोरसिंह, रुखमणीबाई, उर्मिलाबाई, पावरीबाई पुत्री किशोरसिंह, जसवतसिंह पिता गंगाराम	97	0.110	0.110	0.000	0.110	
23	रामबाई वि. आधारसिंह, बलवंतसिंह, धनराजसिंह, दिनेशसिंह पिता आधारसिंह, दुर्गाबाई पिता आधारसिंह	86	0.050	0.050	0.000	0.050	
24	दलसिंह पिता चम्पालाल	89	0.080	0.010	0.000	0.010	
25	रामपाल पिता भारतसिंह	238/3	6.480	0.770	0.770	0.000	
26	मांगीलाल पिता भारतसिंह	231	0.230	0.020	0.000	0.020	
27	उमरावसिंह, आलाजी, भारसिंह पिता बाबूलाल, राजूबाई, शारदाबाई, सुशीलाबाई पुत्री बाबूलाल	309/1	0.540	0.040	0.040	0.000	
28	गजरातसिंह पिता बुखार	311/1	0.250	0.020	0.020	0.000	

29	श्यामू बाई वि. अमरसिंह, रघुवीरसिंह, गजराजसिंह, जगदीश, राजू बागसिंह, रणजीत, मुकेश पिता अमरसिंह, सुभद्राबाई, चंदाबाई पिता अमरसिंह	318	3.430	0.310	0.310	0.000	
30	ओमप्रकाश पिता अंतरसिंह	319/1	0.76	0.110	0.110	0.000	
31	गेंदालाल पिता अंतरसिंह	319/2	0.760	0.090	0.09	0.000	
32	विजयसिंह पिता अंतरसिंह	319/3	0.760	0.100	0.100	0.000	
33	सुरेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह	320	1.500	0.250	0.250	0.000	
34	गुलाबसिंह पिता रामाजी	321/1	2.500	0.070	0.070	0.000	
		323/3	0.88	0.080	0.080	0.000	
35	मांगीलाल पिता रामाजी	321/2	2.450	0.070	0.070	0.000	
		323/1	0.960	0.030	0.030	0.000	
36	ईश्वर पिता हीरालाल	324/2	2.030	0.190	0.190	0.000	
37	कुम्हुबाई पति जालमसिंह	233/1	0.080	0.010	0.000	0.010	
38	शोभाराम, शिवनाथ पिता सीताराम, राकेश पिता राधेलाल, मुकेश नाबा. वली नीमाबाई, नीमाबाई बेवा राधेश्याम, रीनाबाई पुत्री राधेश्याम, लीलाबाई, कृष्णाबाई, सुशीलाबाई पिता सीताराम, रामे वर, भगवानसिंह, शांतिलाल, श्रीराम, रुखमणीबाई, बसुबाई, लक्ष्मीबाई, पिता रुधनाथसिंह, मोतीराम पिता नारायण	294/1	0.090	0.010	0.000	0.010	
39	रामलाल पिता रामेश्वर	35	3.17	0.020	0.020	0.000	
40	भीमसिंह पिता रामप्रसाद	237/1	0.100	0.040	0.040	0.000	
41	लक्ष्मण पिता रामप्रसाद	237/2	0.100	0.030	0.030	0.000	
42	जागेश्वर पिता रामप्रसाद	237/3	0.120	0.020	0.020	0.000	
	कुल— कृषक—42		कुल रकबा —3.670 है। सिंचित—3.340 है। असिंचित— 0.330 है।				

- नोट :—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू—अर्जन अधिकारी, पुनास एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अधिकारी सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र. 16440

राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013. (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में किशनपुरिया तालाब तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया, कलीतलाई एवं जसापुरा के दूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

किशनपुरिया तालाब के दूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम किशनपुरिया

संक.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिचित	असिचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरीलाल पिता शंकर जाति नाई नि.ग्राम कालीतलाई	36/2	0.900	0.000	0.450	0.450
	योग	1	0.900	0.000	0.450	0.450
2	रामचन्द्र पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	37/4	1.012	0.375	0.000	0.375
	योग	1	1.012	0.375	0.000	0.375
3	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम जसापुरा	44/3/1	0.506	0.010	0.000	0.010
	योग	1	0.506	0.010	0.000	0.010
4	दुर्गाप्रसाद पिता भंवरलाल जाति बंजारा नि. ग्राम डूंगरखुर	48/2	0.492	0.010	0.000	0.010
	योग	1	0.492	0.010	0.000	0.010
5	बद्रीलाल पिता जालम जाति चारण कन.ग्राम भू-स्वामी	48/3	0.267	0.011	0.000	0.011
	योग	1	0.267	0.011	0.000	0.011
6	दूलीचन्द पिता जगन्नाथ जाति चमार	51/1	0.337	0.000	0.087	0.087
	योग	1	0.337	0.000	0.087	0.087
7	राधेष्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	65/1/2	0.253	0.100	0.000	0.100
	योग	1	0.253	0.100	0.000	0.100
	कुलयोग :-	7	3.767	0.506	0.537	1.043

संख.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकम	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
किशनपुरिया तालाब के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम कालीतलाई						
1	रांगाराम पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू—स्वामी	606/1/1	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
2	कालू पिता दोलतराम जाति बेलदार नि.ग्राम भू—स्वामी	606/1/2	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
3	फूलसिंह पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू—स्वामी	606/1/3	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
4	भंवरलाल पिता गटटूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू—स्वामी	654/1	0.494	0.094	0.000	0.094
	योग	1	0.494	0.094	0.000	0.094
5	देवचन्द, बद्रीलाल, मांगीबाई पिता शंकरलाल मु.गेंदीबाई बेवा शंकरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू—स्वामी	612	0.101	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.101	0.000	0.051	0.051
6	अनोख, गुलाबचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू—स्वामी	641	0.038	0.000	0.019	0.019
	योग	1	0.038	0.000	0.019	0.019
7	कालू पिता गोपी जाति बेलदार नि.ग्राम भू—स्वामी	578/3/4	0.717	0.143	0.000	0.143
	योग	1	0.717	0.143	0.000	0.143
8	भेरु पिता गोपी जाति बेलदार नि.ग्राम भू—स्वामी	578/3/5	0.716	0.000	0.144	0.144
	योग	1	0.716	0.000	0.144	0.144
9	रोडजी पिता देवीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू—स्वामी	581/1	2.530	1.669	0.000	1.669
	योग	1	2.530	1.669	0.000	1.669
10	अनोखसिंह पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भू—स्वामी	581/3	1.364	0.835	0.000	0.835
	योग	1	1.364	0.835	0.000	0.835
11	विजयसिंह पिता भंवरलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भू—स्वामी	581/2	2.530	0.246	0.000	0.246
	योग	2	3.036	0.322	0.000	0.322

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
12	गुलाबचन्द पिता मांगीलाल जाति धांकड़ नि. ग्राम भू-स्वामी	581/4	1.364	0.495	0.000	0.495
	योग	1	1.364	0.495	0.000	0.495
	कुलयोग :-	13	11.074	3.558	0.226	3.784

किशनपुरिया तालाब के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम जसापुरा

1	लाडबाई पिता जगदीश जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	231/7/2	1.214	0.000	0.170	0.170
	योग	1	1.214	0.000	0.170	0.170
2	नर्बदाप्रसाद, श्यामबाबू, जगदीश प्रेमनारायण गोपाल पिता नन्दलाल रतनबाई पुर्णबाई पिता नन्दलाल मु. काशीबाई बेवा नन्दलाल हि. समान जाति सुनार नि. ग्राम चाटूखेड़ा	231/8	1.491	0.170	0.000	0.170
	योग	1	1.491	0.170	0.000	0.170
3	लक्ष्मीनारायण, बहादुरसिंह पिता माधू मु. नोरंगबाई बेवा माधू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3/1	2.276	0.000	0.034	0.034
	योग	1	2.276	0.000	0.034	0.034
4	मांगू पिता रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3/2	2.277	0.000	0.035	0.035
	योग	1	2.277	0.000	0.035	0.035
	कुलयोग :-	4	7.258	0.170	0.239	0.409
	महायोग :-	24	22.099	4.234	1.002	5.236

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र./ ए / 16442

राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम हरीपुरा के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में आंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

क्रं.	विवरण	तहसील - जीरा पुर		जिला राजगढ़
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर		अर्जित रकबा
		कुल रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौघ परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	11.525	2.727	
	योग	11.525	2.727	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौघ परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	खुक्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			
				2	3	4	5
1	गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	2.000	0.050			
					योग	2.000	0.050
2	इन्दरसिंह आ. कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3	2.000	0.400			
					योग	2.000	0.400
3	नाथूलाल आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1/3/1	1.757	0.365			
					योग	1.757	0.365
4	पुरसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.278	0.010			
					योग	0.278	0.010
5	पूरसिंह मोतीलाल देवजी मानसिंह आ. कंवरलाल बदनबाई बेवा कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/1	2.023	0.209			
					योग	2.023	0.209
6	पूरसिंह आ. कंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/2	1.188	0.420			
					योग	1.188	0.420
7	रतन पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/6	0.698	0.698			
					योग	0.698	0.698
8	बालु सिंह आ. किशनलाल जड़ाव बाई बेवा किशन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/5	1.075	0.275			
					योग	1.075	0.275
9	जगन्नाथ बदेसिंह आ. मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/7	0.506	0.300			
					योग	0.506	0.300
			महायोग	11.525	2.727		

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविमाणीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल
भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक 4459-वि.यो.-न.ग्रा.नि.-2017.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भोपाल निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं—

1. आयुक्त, कार्यालय, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर कार्यालय, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त कार्यालय, नगरपालिक निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

अनुसूची
प्रारूप नियमन

1. भोपाल विकास योजना 2005 में वर्णित “क्षेत्राधिकार” की कंडिका 4.11 के पश्चात् निम्न कंडिकाएं प्रतिस्थापित की जाती हैं:—

- 4.11-अ टी.डी.आर. (ट्रास्कफेरेबल डेवलपमेंट राइट) हस्तांतरणीय विकास अधिकार के संबंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होंगे।
- 4.11-ब टी.ओ.डी. (ट्रांजिट ऑरियण्टेड डेवलपमेंट) के संबंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होंगे।
2. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.22 की सारणी क्रमांक-4-सा-3 में उपनगरीय केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में “मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिंग माल” जोड़ा जाता है।
3. कंडिका क्रमांक 4.30 के पश्चात् निम्न कंडिका स्थापित की जायें।

4.30-अ शीतकेन्द्र/वेयर हाऊस के मानदण्ड

शीत केन्द्र/वेयर हाऊस के लिये निम्न नियमन रहेंगे।

- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल-600 वर्गमीटर
- अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात-1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत
- भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-नगर निगम सीमा में 12.0 मीटर तथा शेष निवेश क्षेत्र में 7.50 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र सामने-7.50 मीटर एवं तीनों ओर 6.00 मीटर होगा।

4. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.52 (2)(घ) को विलोपित किया जायें, तथा सारणी 4-सा-2 में टीप ‘ब’ के पश्चात् निम्नलिखित ‘स’ स्थापित किया जाता है।

स : सारणी 4-सा-2 के कॉलम क्रमांक-1 के सरल क्रमांक 10 से 14 के आवासीय भूखण्डों में नर्सिंग होम एवं व्लीनिक की गतिविधि निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार्य होगी।

- (a) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफीट) होगा।
- (b) भूखण्ड के समुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी।
- (c) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (F.A.R.) सीमांत खुला क्षेत्र (M.O.S.) एवं अधितम भू-आच्छादित क्षेत्र (Ground Coverage) अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-2 अनुसार होंगे।
- (d) भवन की अधिकतम ऊँचाई (Maximumn Height) अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य अनुसार मान्य होगी।
- (e) पार्किंग प्रति 75.0 वर्गमीटर निर्माण पर-1 ई.सी.एस. (E.C.S.) यह पार्किंग व्यवस्था संस्था के प्रांगण/भवन में अथवा 1000 मीटर दायरे के अन्दर विकसित निजी/सार्वजनिक स्थल पर नगर निवेशक नगर निगम की संतुष्टि अनुसार होनी चाहिये। सार्वजनिक स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किये जाने की दशा में प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकेगी, जिसे जमा करने हेतु एक अलग मद स्थानीय संस्था द्वारा सुजित किया जायेगा। तथा इस मद में प्राप्त राशि केवल सार्वजनिक स्थल की पार्किंग व्यवस्था हेतु आहरण कर व्यय की जा सकेगी। भूखण्ड के सामने का सम्पूर्ण सीमान्त खुला क्षेत्र (M.O.S.) बिना शर्त पब्लिक पार्किंग हेतु मार्ग लेवल पर पार्किंग हेतु विकसित कर समर्पण करना होगा। पार्किंग हेतु गणना में इस समर्पित क्षेत्र पर विकास योजना की कंडिका 4.26 का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- (f) यदि विद्यमान भवन उपरोक्त नियम में दिये गये मापदण्ड पूरा करता है, तो संबंधित प्राधिकारी भवन अधिभोग परिवर्तन के लिये स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक परिवर्तन शुल्क लेकर चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे सकेगा।
- (g) नवीन भवन हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क, वाणिज्यिक उपयोग हेतु लागू नियम 21(3) (ख)-2 के अनुसार देय होगा। नवीन भवन अनुमति के समय पार्किंग प्रति 75 वर्ग मीटर निर्माण पर 1 ECS भूखण्ड में करना अनिवार्य होगा।

5. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.57 की सारणी 4-सा-17 के क्रमांक 29 के पश्चात् क्रमांक-30 स्थापित किया जाता है।

30. विवाह पार्क (मेरिज गार्डन)
उपरोक्त गतिविधि समस्त
वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्रों में
मान्य होगी।

P P P NP NP

6. भोपाल विकास योजना 2005 के अध्याय-4 के पैरा 4.56 के अन्य नियंत्रण (2) के पश्चात् निम्न स्थापित किया जाता है।

फार्म हाउस, कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पटाखा दुकान/गोदाम के नियमन :—

(i) वन आवास (फार्म हाऊस) :—

वन आवास के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के अनुरूप होंगे।

(ii) कृषि पर्यटन सुविधा :—

कृषि पर्यटन सुविधा के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुरूप होंगे।

(iii) विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) :—

विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (तीन) के अनुरूप होंगे।

(iv) पटाखा दुकान/गोदाम :—

(a) न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल—100 वर्गमीटर

(b) भूतल कवरेज अधिकतम—30 प्रतिशत

(c) एफ.ए.आर. : 1:0.30

(d) अधिकतम ऊँचाई—4.5 मीटर

(e) न्यूनतम खुला क्षेत्र—सामने 3.0 मीटर एवं अन्य तीनों ओर 1.5 मीटर।

- टीप.—** 1. अग्नि सुरक्षा/विस्फोटक नियमन हेतु लागू सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 2. ग्रामीण आबादी से पटाखा व्यवसाय की न्यूनतम दूरी 0.5 किलोमीटर होगी अथवा जिला प्रशासन द्वारा लागू नियमन मान्य होंगे।
- (v) **मल्टीप्लेक्स**—मल्टीप्लेक्स के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2 (ब) से नियंत्रित होगी।
- (vi) **शॉपिंग माल**—शॉपिंग माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2(ब) से नियंत्रित होगी।
- (vii) **खुला माल**—खुला माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2(ब) से नियंत्रित होगी।
7. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.35 की सारणी 4-सा-9 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप सारणी 6 लागू होगी। साथ ही भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-8 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 25 जनवरी 2013 के सरल क्रमांक 19 में/के द्वारा विलोपित किया गया था उसे यथावत पुर्णस्थापित किया जाता है।
8. (i) कंडिका क्रमांक 4.61 ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) में “सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवाएं” के स्थान पर “जन उपयोगिता एवं सुविधाएं” प्रतिस्थापित किया जाता है, जो भोपाल विकास योजना की कंडिका 4.35 की सारणी 4-सा-8 के कॉलम क्रमांक-2 में “प्रकार” के रूप में सरल क्रमांक-3 एवं 5 में वर्णित है।
- (ii) कंडिका क्रमांक 4.61 ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) में चारागाह एवं वृक्षारोपण के बाद निम्न जोड़ा जाता है:—
 फार्म हाउस, कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पटाखा दुकान/गोदाम, खुला मॉल।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. 528-स्था.निर्वा.-मण्डी उप निर्वा.-2017.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए प्रथम स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए एवं स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यकरूप से निर्वाचित हुए हैं। अतः, मैं, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करती हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक	प्रथम सम्मिलन का दिनांक व नाम	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम एवं पता	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12-बेगमगंज	21-4-2017	—	श्री माधोसिंह पिता श्री चिरोंजीलाल, निवासी वार्ड क्र. 2, गम्भीरिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).
2	15-उदयपुरा	21-6-2017	—	श्री संतोष कुमार रघुवंशी, निवासी ग्राम करहैयाकलां, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म. प्र.).
3	10-औबेदुल्लागंज	14-8-2017	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार, निवासी ग्राम तामोट, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).	श्रीमती शकुन पिता श्री हरीशंकर, निवासी ग्राम उमरावगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 1 मई 2017

क्र. 211-भू-अर्जन 2017.—जिला सतना स्थित ग्राम मैनपुरा की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत् टोन्स जल विद्युत् परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि ये भूमि डूब क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17/2007/सात-2ए/भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत् मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—मैनपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—9.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.	वापस योग्य रकमा (हे. मे.)
----------	------------------------------

(1)	(2)
91/1	0.170
91/2	0.650
91/3	1.080
143	0.543
153	0.129
157	0.640
160	0.376
168	0.350
155	0.600
185	0.046
189/202	0.344
158/200	0.045
146	0.210
167	0.918
173	0.466
172	0.280
191	0.332
192	0.146
195	0.227

(1)	(2)
150	0.700
151	0.304
95/1	0.267
95/2	0.140
144	0.050
152	0.150
147	0.249
148	0.090
149/1	0.205
149/2	0.148
म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर निजी खाता भूमि योग . .	9.855

(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति/दावा कार्यालय कलेक्टर जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

सतना, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. 465-भू-अर्जन 2017.—जिला सतना स्थित ग्राम गजिगवा की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत् टोन्स जल विद्युत् परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि ये भूमि डूब क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17/2007/सात-2ए/भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत् मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—गजिगवां		(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—35.354 हेक्टेयर.		681	0.532
खसरा नं.	वापस योग्य रक्कम (हे. में)	661/2	0.534
(1)	(2)	662	0.010
1	0.210	670/2	0.045
4/1	0.114	682	0.077
4/2	0.113	685	0.080
4/3	0.113	689	0.210
5/1	0.110	572	0.117
5/2	0.110	698	0.220
5/3	0.110	573	0.090
10	1.267	519	0.010
10/713	0.890	520/1	0.711
12	1.090	665	0.757
14/1क/1	0.056	666	0.780
15/1	0.140	687	0.070
51/1क	0.125	688	0.105
14/1क/2	0.056	690	0.214
15/2	0.140	695	0.079
51/1ख	0.125	657/2	0.049
13/2क	0.070	673/735/1	0.187
17	0.320	657/3	0.053
13/2ख	0.070	673/735/2	0.185
13/3	0.020	657/4	0.053
13/4	0.020	673/735/3	0.187
14/2क	0.057	657/5	0.053
14/2ख	0.057	673/735/4	0.187
18/1ख	0.172	657/6	0.049
18/2	0.348	673/735/5	0.187
14/3	0.114	657/7	0.049
51/3	0.250	673/735/6	0.187
54	0.250	59	0.142
57	0.138	61/714	1.295
58	0.713	512/1	0.080
100	0.150	520/3	0.278
104/3	0.400	524/1	0.210
104/1	0.600	512/729	3.867
104/2	0.220	520/4	0.105
575	1.090	520/2	0.630
609	0.247	521	0.117
655	0.770	523/1	0.202
657/1	0.902	522	0.230
655/734	0.530	523/2	0.097
678	0.100	524/2	0.405
671	3.436	584/2	0.405
672/1	0.077	587	1.748
		607	1.327

(1)	(2)	(1)	(2)
658	0.235	791	0.040
659	0.547	653	1.630
679	0.253	656/1	1.237
660	1.019	657	0.628
51/2क	0.125	621	0.502
109	0.020	670	1.082
म.प्र.पा.ज.कं.लि., सिरमौर की		671	0.049
निजी खाता भूमि का योग . .	35.354	652	0.040
		649	1.149
(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है।		654	0.943
(3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति दावा कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।		656/2	0.198
क्र. 468-भू-अर्जन 2017.—जिला सतना स्थित ग्राम गजिगवा की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोन्स जल विद्युत परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि ये भूमि डूब क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17/2007/सात-2ए/भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार भूमि वापस करने का निर्णय लिया गया है :—		648/1	2.196
		655	0.409
		663	0.069
		770/1320/4	0.347
		770/1320/1	1.046
		770/1320/3	0.347
		770/1320/2	0.347
		770/1320/5	0.347
		1290/1ब	0.040
		1290/1अ	0.040
		1290/1स	0.040
		707	1.918
		813/3	0.012
		814/3	0.020
		816/3	0.020
		817/3	0.032
		812/3	0.130
		815/3	0.033
		805	0.020
		818/2	0.121
		818/1ख	0.166
		818/1	0.008
		1301/2	0.210
		702	0.800
		1301/1	0.162
		703/2	0.325
		703/1	1.134
		1302	0.634
		1051	0.667
		1052	0.223
		1055	0.421
		1057	0.134
		1056	0.053
		618/1	0.656
		710/1	0.747
		618/2	0.656

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—गोरझ्या
- (घ) क्षेत्रफल—52.468 हेक्टेयर.

खसरा नं.	वापस योग्य रकमा
(1)	(2)
711	0.081
712	0.154
713	1.799

(1)	(2)	(1)	(2)
710/2	0.747	1305	0.050
788	0.652	1310	0.160
787	0.247	1308	0.080
1292	0.132	1309	0.100
1295/2	0.040	1306	0.050
812/2	0.130	1307	0.080
1295/1	0.360	1300	0.480
812/1	0.130	1299	0.428
1293	0.153	648/2	0.548
1311	0.150	1297	0.208
1288	0.231	1290/3	0.100
596	0.012	1289	0.526
598	0.510	1290/2	0.283
597	0.555	1304	0.010
717	1.050	1296	0.336
763	7.405	1303	0.759
608	0.372	योग . .	<u>52.468</u>
599	0.090		
623/1	0.180		
623/2	0.200		
682/2	0.561		
683/2	1.354		
687	0.089		
617	0.405		
682/1	0.557		
683/1	1.358		
806	0.538		
813/2	0.012		
814/2	0.024		
815/2	0.034		
816/2	0.021		
817/2	0.032		
813/1	0.012		
814/1	0.024		
815/1	0.033		
816/1	0.020		
817/1	0.036		
665	0.105		
666	0.780		
810	0.012		
811	3.337		
1188	0.233		
1190	0.260		
1298	0.383		
1294	0.362		
1312	0.080		
1291	0.200		

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति दावा कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. भू-अर्जन-08-(अ-82)2016-17-119.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—	378	0.05
(क) जिला—मण्डला	402	0.28
(ख) तहसील—घुघरा	377	0.42
(ग) ग्राम—धनगांव, प. ह. नं. 40	406	0.06
(घ) क्षेत्रफल—14.96 हेक्टेयर.	403	0.36
	401/1	0.24
	401/2	0.01
खसरा	452/3	0.10
नंबर	456	0.41
(1)	457	0.37
	458	0.17
221	0.31	459
222/1	0.25	460
222/2	0.59	467
222/3	0.03	468/1
224/1	0.37	468/2
224/2	0.02	470
225	0.19	495
256	0.08	494
249	0.34	493
248/1	0.06	685/1
248/2	0.10	685/2
251	0.03	686
265	0.08	684
266	0.08	682
267	0.07	693
268	0.18	694
269	0.27	692
264/2	0.04	680
270	0.17	662/1
271	0.03	662/2
272	0.11	639
287	0.06	567
381/1	0.02	585
384	0.02	583
385	0.02	584
386	0.32	589/2
387	0.19	586
388	0.37	622/1
389	0.24	587
379	0.59	588/1
397	0.08	588/2

(1)	(2)
607	0.18
608	0.33
611	0.06
609	0.04
610	0.13
612/2	0.19
679	0.02
योग : 14.96	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-09-(अ-82)2016-17-120.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—घुघरी
- (ग) ग्राम—पौड़ी, प. ह. नं. 40
- (घ) क्षेत्रफल—3.62 हेक्टेयर।

खसरा	रक्कम
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
109	0.18
123/1	0.10
123/3	0.10
123/4	0.03
123/5	0.07
122	0.15
121/1	0.05

(1)	(2)
121/2	0.07
120/3	0.32
113/2	0.21
119	0.11
114/2	0.27
40	0.19
46	0.01
48/19	0.04
48/18	0.15
48/16	0.15
48/15	0.06
48/10	0.16
48/1	0.13
33	0.71
32	0.03
6	0.30
34	0.03
योग : 3.62	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)2016-17-121.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—जुनवानी, प. ह. नं. 40	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—17.60 हेक्टेयर.	94	0.48
खसरा	रकबा	95/2
नंबर	(हे. में)	95/3
(1)	(2)	95/4
180	0.65	93
718/220	0.01	92
219	0.45	91
216	0.06	90/2
699/210	0.04	90/3
213	0.49	90/4
214	0.71	17
206	0.17	19/2
715/205	0.44	704/16
706/203	0.16	14/1
707/1/249	0.02	14/2
205	0.05	11
204	0.28	8
203	0.57	9
188	0.89	6
202	0.19	7/2
189	0.40	7/9
191	0.03	7/3
190	0.10	1/1
157	0.23	2/1
158	0.38	
159	0.63	
160/1	0.11	
160/2	0.14	
160/3	0.11	
128/1	0.10	
138	0.79	
132	0.23	
129	0.58	
709/125	0.42	
710/125	0.11	
125/1	0.02	
123	0.41	
118	0.59	
115	0.25	
107	0.14	
110	0.02	
108	0.14	
109	0.46	
104	0.25	
		योग : 17.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-11-(अ-82)2016-17-122.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों

के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—घुघरी
- (ग) ग्राम—खजरी, प. ह. नं. 39
- (घ) क्षेत्रफल—1.12 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
222	0.15
223/1	0.33
223/2	0.32
224	0.32
योग : 1.12	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13-(अ-82)2016-17-123.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—फोंक, प. ह. नं. 29
- (घ) क्षेत्रफल—7.73 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
293	4.44

(1)	(2)
62	0.40
37/2	0.30
35	0.80
36/1	0.67
36/2	0.67
64	0.45
योग : 7.73	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—करंजिया माल, प. ह. नं. 28
- (घ) क्षेत्रफल—0.11 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
563/3	0.11
योग : 0.11	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-15-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—करंजिया रैयत, प. ह. नं. 28
- (घ) क्षेत्रफल—0.04 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
2/6	0.04
योग	<u>0.04</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-16-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बूत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—पड़रिया, प. ह. नं. 31
- (घ) क्षेत्रफल—2.72 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
517	0.14
521	0.13
520	0.21
523/1	0.27
523/2	0.15
522	0.03
532/699	0.11
531	0.07
532	0.32
81	0.41
80	0.25
82	0.01
77	0.48
76/1	0.01
76/2	0.13
योग	<u>2.72</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. भू-अर्जन-17-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों

के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—कैवलारी रैयत, प. ह. नं. 33
- (घ) क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
422/1	0.12
योग :	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. भू—अर्जन-18-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया
- (ग) ग्राम—भपसा, प. ह. नं. 34
- (घ) क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
127	0.10
योग :	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारुकी बली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 22 अगस्त 2017

प्र. क्र. 07-अ-82 वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

- (ग) ग्राम—बालाधर, प. ह. नं. 19
 (घ) क्षेत्रफल—0.861 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	कुल अर्जित रकबा (हे. में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
1/1/मिन-4	0.100	निजी भूमि
1/3/3/1	0.125	निजी भूमि
1/3/3/2	0.125	निजी भूमि
3/2/1/2	0.030	निजी भूमि
1/4/क	0.140	निजी भूमि
2/2/ख	0.041	निजी भूमि
3/1/5	0.030	निजी भूमि
3/2/ख	0.190	निजी भूमि
1/2/क/मिन/1	0.080	निजी भूमि
कुल रकबा	<u>0.861</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-2016-17-3219.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
 (ख) तहसील—सोहागपुर
 (ग) ग्राम—कोटमा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.809 हेक्टेयर (भूमि एवं सम्पत्ति)

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
	1552/2		0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु भूमि का अर्जन।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि., शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 25 अगस्त 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके लिए यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—गौरिहार
 (ग) ग्राम—फत्तेहपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.014 हेक्टेयर.

भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3)
श्री भैयालाल, जीवन तनय	40/8	0.150	
कलुआ केवट.			
श्री रामफली तनय महादेव	47/3	0.010	
श्री दुर्जन व दुर्गा प्रसाद तनय	40/11	0.070	
मथुरा अहीर.			
श्री कैलाश तनय मुनी लाल	47/1	0.250	
श्री भगवानदीन तनय जोधा	48	0.410	
श्री करन तनय रामसनेही अहीर	47/2	0.120	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
श्री रामस्वरूप, रामकरन, रामशरन तनय शिवपालक वौरह.	31	0.004	189	0.093
योग		<u>1.014</u>	188	0.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—लोक निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग सागर.			187	0.003
(3) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।			498	0.071
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			499	0.072
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			186	0.145
रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2017			185	0.071
पत्र क्र. 1437-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—			184	0.094
अनुसूची			183	0.113
(1) भूमि का वर्णन—			182	0.246
(क) जिला—सतना			560	0.206
(ख) तहसील—अमरपाटन			561	0.037
(ग) ग्राम—कल्ला			558	0.143
(घ) क्षेत्रफल—4.084 हेक्टेयर.			557	0.239
खसरा नं.	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)		556	0.035
(1)	(2)		555	0.076
अ-निजी पट्टे की भूमि			554	0.081
262	0.166		552	0.002
271	0.077		547	0.285
272	0.169		548	0.008
268	0.021		608	0.338
			606	0.014
			607	0.039
			597	0.011
			562	0.027
			564	0.072
			177	0.154
			175	0.059
			174	0.033
			160	0.094
			90	0.039
			91	0.005
			95	0.048
			86	0.034
			85	0.027
			83	0.051
			84	0.008
			97	0.026
			98	0.007
			47	0.121
			48	0.007
			55	0.062

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
56	0.025		46	0.476
54	0.007		44	0.065
16	0.233		43	0.027
15	0.009		42	0.002
13	0.031		6	0.535
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	4.048		27	0.026

ब-म. प्र. शासन की भूमि

193	0.027	116	0.027
1	0.009	115	0.149
सन की भूमि का योग . . .	<u>0.036</u>	114	0.064
अ + ब का योग . . .	<u>4.084</u>	113	0.013
		112	0.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1439-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—समोगर उन्नुक्त
(घ) क्षेत्रफल—3,500 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेवटेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भमि

2

0.032

45

0.079

(1)	(2)
46	0.476
44	0.065
43	0.027
42	0.002
6	0.535
27	0.026
28	0.311
116	0.027
115	0.149
114	0.064
113	0.013
112	0.018
111	0.257
131	0.103
136	0.280
135	0.002
137	0.099
145	0.013
139	0.213
144	0.226
143	0.127
154	0.100
155	0.028

ब-म. प्र. शासन की भूमि

119	0.052
167	0.048
142	0.089
140	0.039

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.228
अ + ब का योग . .	3.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1441-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—बरा
- (घ) क्षेत्रफल—2.013 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

42	0.116
43	0.029
41	0.016
44	0.093
45	0.120
40	0.048
39	0.004
58	0.014
59	0.084
60	0.160
53	0.117
61	0.046
70	0.144
69	0.274
72	0.026
68	0.076
67	0.001
73	0.362
74	0.280
62	0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
	2.013

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	2.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बेला वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1443-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—खुटहा
- (घ) क्षेत्रफल—0.650 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1312	0.182
1314	0.005
1313	0.099
1316	0.122
1317	0.002
1321	0.021
1318	0.008
1320	0.021
1319	0.187

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.647

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1311	0.003
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.003
अ + ब का योग . .	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बेला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1445-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—पोडीकला
- (घ) क्षेत्रफल—1.183 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

118	0.082
119	0.009
120	0.024
126	0.008
127	0.156
129	0.090
130	0.028
131	0.070
156	0.058
152	0.001
153	0.039
149	0.061
148	0.021
86	0.048
85	0.046
83	0.050
60	0.004
23	0.003
22	0.070
18	0.121
12	0.004
14	0.004
288	0.002
289	0.006
291	0.029
61	0.052

(1)	(2)
68	0.051
62	0.039
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	1.176

ब-म. प्र. शासन की भूमि

15	0.007
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग	.0.007
अ + ब का योग	1.183

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 18” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1447-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—धुइसा
- (घ) क्षेत्रफल—2.804 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

438	0.014
437	0.046
436	0.057
447	0.051
448	0.059
426	0.011
449	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
423	0.108	853	0.093
422	0.079	880	0.107
405	0.132	907	0.008
403	0.010	881	0.089
393	0.070	902	0.035
402	0.003	904	0.030
394	0.046	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.787</u>
400	0.027		
396	0.021	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
395	0.022	364	0.014
358	0.261	906	0.003
359	0.007	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.017</u>
541	0.121	अ + ब का योग . .	<u>2.804</u>
685	0.054		
684	0.006	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
682	0.070		
681	0.067	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
688	0.002		
680	0.047		
679	0.041		
676	0.039		
670	0.016	पत्र क्र. 1449-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
669	0.046		
668	0.083		
667	0.003		
665	0.077		
666	0.001		
660	0.062		
661	0.052		
662	0.120		
654	0.001		
811	0.055		
812	0.054		
815	0.052		
814	0.094		
820	0.113		
819	0.006	खसरा नं.	अर्जित रकम
821	0.006		(हेक्टेयर में)
818	0.003	(1)	(2)
857	0.060		
856	0.036		
855	0.001		
		अ-निजी पट्टे की भूमि	
		440	0.034
		439	0.090

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—पोडी खुद
- (घ) क्षेत्रफल—1.908 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)
266	0.053
267	0.065
269	0.073
438	0.051
272	0.048
273	0.053
282	0.032
283	0.027
280	0.057
631	0.006
625	0.081
624	0.033
622	0.005
621	0.036
617	0.061
615	0.044
613	0.028
618	0.004
612	0.042
611	0.011
610	0.016
605	0.038
604	0.027
559	0.018
560	0.161
561	0.073
562	0.056
570	0.027
563	0.052
572	0.093
661	0.100
579	0.224
577	0.073
576	0.016
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	1.908

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ + ब का योग	1.908

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1451-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—मझगवां
- (घ) क्षेत्रफल—0.271 हेक्टेयर।

खसरा नं.

अर्जित रकम।

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

984	0.109
874	0.010
619	0.013
630	0.001
631	0.060
632	0.056
633	0.007
634	0.004
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	0.260

ब-म. प्र. शासन की भूमि

982	0.011
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.011
अ + ब का योग	0.271

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1453-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—लोखरी
- (घ) क्षेत्रफल—0.313 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

156	0.033
155	0.030
154	0.005
157	0.020
160	0.009
161	0.047
162	0.043
163	0.016
164/1	0.039
164/2	0.022
199	0.039
205	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	0.304

ब-म. प्र. शासन की भूमि

200	0.009
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.009
अ + ब का योग	0.313

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1455-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—इटमा
- (घ) क्षेत्रफल—2.406 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1056	0.092
1055	0.012
1052	0.006
1051	0.042
1057	0.010
1060	0.070
1067	0.008
963	0.167
964	0.010
965	0.006
971	0.054
973	0.001
976	0.019
975	0.026
961	0.008
960	0.067
959	0.007
947	0.108
892	0.003
891	0.090
810	0.064
812	0.001
807	0.035

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खडगढ़। (घ) क्षेत्रफल—0.656 हेक्टेयर।
		खसरा नं. अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1) (2)
811	0.004	
797	0.051	खसरा नं.
806/1146	0.050	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
798	0.042	
772	0.071	अ-निजी पट्टे की भूमि
770	0.066	152 0.040
659	0.052	151 0.005
661	0.038	149 0.020
662	0.068	150 0.033
663	0.023	146 0.008
664	0.033	170 0.001
650	0.075	169 0.031
651	0.007	167 0.036
548	0.708	173 0.003
526	0.195	174 0.057
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.389</u>	175 0.025
		132 0.002
		178 0.027
1054	0.005	131 0.047
950	0.012	179 0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.017</u>	228 0.011
अ + ब का योग . .	<u>2.406</u>	229 0.011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।		230 0.010
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		225 0.028
पत्र क्र. 1457-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		226 0.002
		224 0.020
		241 0.001
		242 0.018
		243 0.015
		239 0.009
		238 0.032
		236 0.005
		237 0.014
		282 0.065
		281 0.011
		280 0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.594</u>	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन

ब-म. प्र. शासन की भूमि
148 0.041
168 0.007
244 0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
278	0.010	61	0.122
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.062</u>	62	0.010
अ + ब का योग . .	<u>0.656</u>	64	0.083
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		60	0.119
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		85	0.031
		86	0.012
		91	0.245
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.623</u>
		ब-म. प्र. शासन की भूमि	

पत्र क्र. 1459-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

 - (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
 - (ग) ग्राम—खटखरी
 - (घ) क्षेत्रफल—1.709 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	अ-निजी पट्टे की भूमि
11	0.271
12	0.002
13	0.045
16	0.196
15	0.028
22	0.003
21	0.030
23	0.044
20	0.004
24	0.046
25	0.122
57	0.210

1	0.049
40	0.019
90	0.018
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.086
अ + ब का योग . . .	1.709

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1461-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्चस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—सेहरुआ नं. 2
(घ) क्षेत्रफल—1.151 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
193	0.002
191	0.172

(1)	(2)
196	0.049
155	0.162
199	0.002
154	0.114
200	0.112
131	0.009
206	0.031
208	0.271
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.924</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

205	<u>0.227</u>
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.227</u>
अ + ब का योग . .	<u>1.151</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1463-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) ग्राम—करही कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—1.017 हेक्टेयर।

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
70	0.200
71	0.015

(1)	(2)
69	0.006
68	0.009
61	0.170
59	0.095
9	0.026
10	0.071
7	0.037
11	0.031
6	0.046
5	0.102
15	0.132
2	0.025
1	0.002
16	0.032
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.999</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

96	<u>0.018</u>
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.018</u>
अ + ब का योग . .	<u>1.017</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1465-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—लोही 575	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—4.302 हेक्टेयर.	744	0.006
खसरा नं.	अर्जित रकबा	745
	(हेक्टेयर में)	752
(1)	(2)	712
अ-निजी पट्टे की भूमि		0.040
513	0.090	0.111
512	0.018	0.040
511	0.007	0.016
510	0.023	0.084
551	0.035	0.145
552	0.038	0.086
555	0.041	0.077
554	0.010	0.121
559	0.041	0.020
558	0.030	0.043
560	0.006	0.075
550	0.002	0.016
561	0.029	0.091
562	0.001	0.142
563	0.084	0.071
576	0.006	0.056
575	0.060	0.128
574	0.066	0.026
573	0.051	0.007
585	0.120	0.152
586	0.080	0.033
652	0.097	0.029
651	0.095	0.046
650	0.041	0.059
649	0.038	0.069
648	0.009	0.125
686	0.108	0.182
687	0.005	0.158
694	0.076	0.066
693	0.004	0.012
727	0.039	0.088
728	0.042	0.256
729	0.010	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .
768	0.069	ब-म. प्र. शासन की भूमि
767	0.031	789
742	0.001	568
743	0.161	822
		ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .
		0.013
		0.046
		अ + ब का योग . . .
		4.302

(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रत्हरा वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	367 304 306 305 280 276 275 269 271 167 118 117 116 100 99 86 84 83 70 71 52 53 44 45 19 22 15 14 अ-निजी पट्टे की भूमि 388 387 383 359 358 320 340 341 336 339 342 344 345 346 319 361 316 366	(2)	0.012 0.007 0.012 0.025 0.096 0.068 0.087 0.074 0.051 0.078 0.028 0.024 0.006 0.048 0.033 0.020 0.035 0.009 0.140 0.008 0.085 0.009 0.095 0.010 0.107 0.009 0.169 0.001 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 3.030 ब-म. प्र. शासन की भूमि 347 म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.021 अ + ब का योग . . . 3.051
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.				
पत्र क्र. 1467-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—					
अनुसूची					
(1)	भूमि का वर्णन—				
(क)	जिला—रीवा				
(ख)	तहसील—गायपुर कर्चुलियान				
(ग)	ग्राम—माजन 526				
(घ)	क्षेत्रफल—3.051 हेक्टेयर.				
खसरा नं.	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)				
(1)	(2)				
अ-निजी पट्टे की भूमि					
388	0.144				
387	0.086				
383	0.197				
359	0.169				
358	0.002				
320	0.153				
340	0.055				
341	0.105				
336	0.006				
339	0.060				
342	0.075				
344	0.077				
345	0.020				
346	0.085				
319	0.052				
361	0.066				
316	0.089				
366	0.243				
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।					

पत्र क्र. 1469-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—भाँटी 472
- (घ) क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1211	0.010
1216	0.232
1217	0.058
1215	0.005
1136	0.047
1135	0.007
1223	0.026
1222	0.003
1224	0.022
1228	0.051
1221	0.001
1229	0.003
1232	0.041
1235	0.002
1238	0.016
1237	0.026
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.550

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.550

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1471-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—नवाराँव 314
- (घ) क्षेत्रफल—0.777 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

791	0.140
794	0.019
798	0.114
797	0.002
801	0.090
803	0.072
804	0.011
726	0.210
725	0.087
802	0.002
793	0.002
795	0.011
800	0.017
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.777

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.777

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.777

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1473-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—पहाऊ 355
- (घ) क्षेत्रफल—0.062 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

281	0.041
302	0.021

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.062

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.062

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रत्हरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1475-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—रकरिया 542

(घ) क्षेत्रफल—0.041 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

204	0.041
-----	-------

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.041

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.041

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रत्हरा वितरक के माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1477-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—चंदिहर 176
- (घ) क्षेत्रफल—0.129 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

142	0.129
-----	-------

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.129

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.129

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती

नहर के अन्तर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 5'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	124	0.029
	122	0.010
	121	0.118
	120	0.017
	119	0.089
	117	0.067
	103	0.014
	104	0.077
	14	0.031
	105	0.026
	113	0.001
	106	0.050
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		1.572

पत्र क्र. 1479-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—हटवा 629
- (घ) क्षेत्रफल—1.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

251	0.115
252	0.098
254	0.027
262	0.056
261	0.010
265	0.001
260	0.162
259	0.027
256	0.004
257	0.071
295	0.030
294	0.040
296	0.078
297	0.051
255	0.005
293	0.021
133	0.098
128	0.008
130	0.141

ब-म. प्र. शासन की भूमि
125
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .
अ + ब का योग . .

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती
नहर के अन्तर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 7'' में
आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति
के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया
जा सकता है.

पत्र क्र. 1481-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवाँ
- (ग) ग्राम—डेल्ही 242
- (घ) क्षेत्रफल—3.886 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
672	0.188
679	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
682	0.002	159	0.187
680	0.027	145	0.052
683	0.190	94	0.084
685	0.009	93	0.059
686	0.260	96	0.117
691	0.009	98	0.062
693	0.011	92	0.005
690	0.018	99	0.012
706	0.099	91	0.001
705	0.017	100	0.088
699	0.146	101	0.003
700	0.008	107	0.060
704	0.231	551	0.052
703	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
702	0.010	<u>3.838</u>	
729	0.001	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
701	0.022	550	0.015
645	0.029	540	0.017
644	0.009	144	0.011
642	0.290	105	0.004
639	0.003	108	0.001
643	0.014	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	
625	0.001	<u>0.048</u>	
616	0.353	अ + ब का योग . .	
615	0.012	<u>3.886</u>	
474	0.154		
475	0.004		
555	0.006		
476	0.037		
553	0.011		
542	0.160		
541	0.006		
528	0.001		
525	0.004		
529	0.112		
524	0.017		
523	0.026		
173	0.097		
174	0.239		
175	0.026		
160	0.164		
151	0.008		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1483-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगावा
- (ग) ग्राम—कठेरी 42

(घ) क्षेत्रफल—2.477 हेक्टेयर.	(1)	(2)
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.380</u>
1335	0.028	
1370	0.169	ब-म. प्र. शासन की भूमि
1373	0.010	1092 0.022
1385	0.029	1085 0.004
1384	0.006	1083 0.007
1334	0.005	1084 0.064
1333	0.241	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.097
1332	0.010	अ + ब का योग . . <u>2.477</u>
1331	0.103	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
1328	0.057	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
1324	0.072	
1325	0.076	
1307	0.010	पत्र क्र. 1485-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन्नाम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—
1310	0.053	
1309	0.050	
1308	0.071	
1313	0.018	अनुसूची
1288	0.090	
1289	0.083	(1) भूमि का वर्णन—
1290	0.003	(क) जिला—रीवा
1284	0.082	(ख) तहसील—रायपुर-कर्चुलियान
714	0.001	(ग) ग्राम—खजुआवन 128
716	0.118	(घ) क्षेत्रफल—1.078 हेक्टेयर.
670	0.231	
669	0.004	खसरा नं.
720	0.007	अर्जित रकबा
568	0.028	(हेक्टेयर में)
567	0.019	(1) (2)
566	0.058	अ-निजी पट्टे की भूमि
577	0.051	
1369	0.001	
1375	0.036	
1374	0.129	226 0.098
1087	0.058	225 0.078
1089	0.020	232 0.001
1088	0.074	224 0.046
1082	0.103	223 0.020
		222 0.052

(1)	(2)	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
242	0.058		अनुसूची
216	0.058	(1) भूमि का वर्णन—	
203	0.098	(क) जिला—रीवा	
207	0.011	(ख) तहसील—रायपुर कर्चलियान	
208	0.051	(ग) ग्राम—पटना 329	
210	0.114	(घ) क्षेत्रफल—1.644 हेक्टेयर.	
212	0.001	खसगा नं.	अर्जित रकमा
157	0.140		(हेक्टेयर में)
156	0.050	(1)	(2)
117	0.058	अ-निजी पट्टे की भूमि	
118	0.002		
119	0.007	289	0.112
101	0.020	290	0.256
102	0.011	291	0.087
92	0.006	521	0.082
99	0.019	519	0.043
93	0.007	518	0.026
94	0.008	517	0.019
95	0.005	515	0.109
27	0.017	436	0.173
25	0.013	437	0.015
26	0.009	433	0.045
13	0.005	438	0.002
14	0.003	429	0.139
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.066</u>	428	0.002
		452	0.160
		453	0.215
		454	0.048
		456	0.002
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.535</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि		
100	0.012	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.012</u>	
अ + ब का योग . .	<u>1.078</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1487-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

ब-म. प्र. शासन की भूमि		
516	0.039	
432	0.045	
435	0.010	
457	0.015	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.109</u>	
अ + ब का योग . .	<u>1.644</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1489-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—नाइन 316
- (घ) क्षेत्रफल—1.794 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

45	0.030	15	0.071
39	0.002	19	0.037
41	0.005	20	0.012
42	0.036	18	0.129
40	0.037	78	0.029
59	0.016	113	0.017
61	0.026	114	0.062
63	0.023	115	0.039
64	0.014	11	0.007
65	0.024	10	0.041
66	0.026	7	0.048
29	0.157	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.733

ब-म. प्र. शासन की भूमि

264	0.011	226	0.038
261	0.035	68	0.007
260	0.093	131	0.016
259	0.108	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.061
254	0.011	अ + ब का योग . .	1.794
255	0.056		
247	0.012		
251	0.001		
250	0.006		
248	0.024		
249	0.003		
224	0.013		
225	0.072		
208	0.038		
207	0.045		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1491-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		803	0.006
(क) जिला—रीवा		834	0.006
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान		835	0.047
(ग) ग्राम—महसुआ 516		832	0.035
(घ) क्षेत्रफल—2.189 हेक्टेयर.		833	0.005
खसरा नं.	अंजित रकबा (हेक्टेयर में)	811 825 824	0.003 0.006 0.021
(1)	(2)		
अ-निजी पट्टे की भूमि		822	0.029
25	0.043	821	0.016
249	0.134	875	0.002
248	0.101	882	0.006
246	0.082	881	0.079
245	0.215	879	0.044
253	0.001	1009	0.007
259	0.001	1008	0.090
276	0.025	1002	0.006
334	0.071	1001	0.099
339	0.009	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.148
340	0.087		
401	0.017	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
353	0.004	771	0.009
352	0.105	921	0.008
344	0.109	289	0.009
343	0.046	771	0.009
342	0.019	864	0.006
351	0.080	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.041
572	0.039		
800	0.002	अ + ब का योग . .	2.189
799	0.014		
798	0.013		
787	0.003		
784	0.055		
561	0.042		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के 17'' में आने वाली निजी/शासकीय स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के द्वारा आवश्यक है।	

पत्र क्र. 1493-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—माजन 526
- (घ) क्षेत्रफल—3.051 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

388	0.144	44	0.095
387	0.086	45	0.010
383	0.197	19	0.107
359	0.169	22	0.009
358	0.002	15	0.169
320	0.153	14	0.001
340	0.055	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
341	0.105	<u>3.030</u>	
336	0.006		
339	0.060	347	0.021
342	0.075	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	
344	0.077	<u>3.021</u>	
345	0.020	अ + ब का योग . .	
346	0.085	<u>3.051</u>	
319	0.052		
361	0.066		
316	0.089		
366	0.243		
367	0.012		
304	0.007		
306	0.012		
305	0.025		
280	0.096		
276	0.068		
275	0.087		

(1)	(2)
269	0.074
271	0.051
167	0.078
118	0.028
117	0.024
116	0.006
100	0.048

ब-म. प्र. शासन की भूमि
347
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .
<u>3.021</u>
अ + ब का योग . .
<u>3.051</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1495-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—खोरा 132
- (घ) क्षेत्रफल—1.479 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

23	0.193
24	0.011
22	0.016
21	0.017
20	0.345
36	0.006
17	0.015
19	0.006
16	0.010
38	0.004
37	0.008
13	0.195
12	0.011
14	0.014
11	0.146
42	0.008
44	0.028
61	0.007
9	0.082
6	0.004
7	0.023
8	0.045
186	0.005
187	0.006
188	0.004
189	0.135
473	0.023
474	0.106
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.473</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
78	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.006</u>
अ + ब का योग . .	<u>1.479</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1497-प्रका.—भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासम और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगावं
- (ग) ग्राम—सेमरी कला 617
- (घ) क्षेत्रफल—0.198 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

65	0.198
----	-------

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.198</u>
---------------------------------	--------------

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
---------------------------------	--------------

अ + ब का योग . .	<u>0.198</u>
------------------	--------------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्र.-भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रक्केका नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—कुण्डम
- (ग) ग्राम—बदुआ (प.ह.नं. 0040) रा.नि.मं.—इमलई
- (घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 12.550 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रक्का (हे. में)
(1)	(2)
198	0.200
473	0.600
199	0.450
478	0.650
470	0.300
465	0.320
472	0.600
475	0.300
476	0.980
482	0.460
481	0.160
483	0.200
487	0.400
445	0.240
489	0.400
490	0.400
484	0.290
485	0.400
486	0.270
488/1	0.730
491	1.000

(1)	(2)
492	2.060
488/2	0.730
196	0.410
कुल रक्का . .	12.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधान स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenergy.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रक्केका नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—कुण्डम
- (ग) ग्राम—कुसुआ डबरा (प.ह.नं. 0037) रा.नि.मं.—इमलई
- (घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 88.900 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रक्का (हे. में)
(1)	(2)
25	0.990
26/1	3.090
26/2	1.000

(1)	(2)	(1)	(2)
27	0.300	187/1	0.140
102	0.480	137	1.110
104	0.840	150	0.420
105	0.610	142/1	0.130
178	0.600	143	0.650
106	0.130	142/2	0.790
219	0.580	144	0.480
107	1.480	145	0.780
114	0.300	146	0.780
100	0.310	147	0.770
220	0.370	149/1	0.340
108	0.70	149/2	0.990
109	0.500	152	0.750
110	0.430	172	0.320
88	1.070	173	1.010
87	0.780	174	0.640
111	0.200	186	0.550
112	1.010	153	0.250
141	3.320	158	0.100
113	0.530	165	0.330
115	0.200	154	0.660
138	0.600	155	0.650
116	0.200	159	0.370
139	0.600	160	0.230
117	0.580	161	0.900
118	0.350	162	0.610
119	0.860	163	0.340
120/1	0.100	258	0.900
122	0.140	166	0.480
120/2	0.250	167	0.440
121	0.140	183	0.540
123	0.250	246	0.540
124	0.340	168	0.290
125	0.340	169	0.290
126	0.240	179	0.510
127	0.220	170	0.640
128	0.330	171	0.750
131	0.880	176	0.260
164	0.350	177	0.260
132	0.370	180	0.250
133/1	0.200	181	0.230
134/2	0.260	182	0.520
135/2	0.360	99	0.900
187/2	0.150	98	0.410
133/2	0.200	184/1	0.390
134/1	0.260	97	0.510
135/1	0.360	95	0.840

(1)	(2)	(1)	(2)
16	1.360	238	0.800
91	2.140	262	2.350
185	0.710	260	0.240
196	0.260	263	0.580
198	0.280	259	0.260
184/2	0.290	264	0.800
184/3	0.180	249	0.420
189	0.120	266	0.930
190	0.240	247	0.770
191	0.790	12/1	0.360
192	0.990	15/1	0.130
193	0.250	17/1	0.130
194	0.140	18/1	0.300
195	0.300	19/1	0.240
210	0.360	12/2	0.370
197	0.200	15/2	0.120
199	0.200	17/2	0.140
251	0.950	18/2	0.300
213	0.090	19/2	0.230
214	0.330	14	0.150
215	0.400	21	0.690
217	1.280	31	2.990
218	0.550	कुल रकमा . . 88.900	
200	0.340		
201	0.200		
206	0.170		
207	0.160		
241	0.190		
257	1.210		
203	0.290		
204	0.210		
205	0.220		
208	0.290		
209	0.400		
223	0.500		
242	0.380		
148	0.120		
188	0.110		
224	0.150		
229	0.400		
236	0.500		
239	0.650		
227	0.520		
234	0.400		
237	0.810		
228	0.560		
232	0.120		
235	0.500		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत् सामाजिक समाधात् स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. 1034-गोपनीय-2017-दो-2-10-62-(भाग-आठ)।—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 988-गोपनीय-2017-दो-2-10-62 (भाग आठ), दिनांक 02 अगस्त 2017 जहाँ तक इसका संबंध सारणी के सरल क्रमांक 59 पर उल्लेखित श्री मो. शकील खान को सारणी के स्तम्भ क्र. (3) एवं स्तम्भ क्रमांक (4) के अनुसार “दिनांक 05 अक्टूबर 2016 से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर”, जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) प्रदान किये जाने से संबंधित है, आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है।

No. 1036-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Colloquium for District Judges on 26th August 2017 & 27th August 2017 in the Conference Hall, South Block, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Colloquium.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 8th August 2017

No. 234-CJ-II-1160.—WHEREAS, a departmental enquiry has been initiated against Shri Rajendra Kumar Shrivastava, the then Officer on Special Duty, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur presently posted as III Additional District Judge, Neemuch for showing act of grave misconduct.

AND WHEREAS, seriousness nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and appeal) Rules, 1966, and all other powers, enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Rajendra Kumar Shrivastava, the then Officer on Special Judge, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur, presently posted as III Additional District Judge, Neemuch, under suspension with the headquarters at Neemuch. The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,

SATYENDRA KUMAR SINGH, Principal Registrar
(Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. 236-सी.जे.-दो-1160.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 234-सी.जे.-दो-1160, दिनांक 08 अगस्त 2017, जो श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, नीमच के निलंबन से संबंधित है, के पैराग्राफ क्रमांक 2 की 7 वीं पंक्ति में तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (the then Officer on Special Duty) के स्थान पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अधिकारी (the then Officer on Special Judge) ठंकित हो गया है।

अतः रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 234-सी.जे.-दो-1160, दिनांक 08 अगस्त 2017 में पैराग्राफ क्रमांक 2 की 7 वीं पंक्ति में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अधिकारी (the then Officer on Special Judge) के स्थान पर तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (the then Officer on Special Duty) पढ़ा जावे।

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. B-4447-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6096-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 01 से 05 अगस्त 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2017 के सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6155-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 29 जून 2017 से 03 जुलाई 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-6157-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 20 से 31 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6159-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2017 तक

तीन दिन के पूर्व स्वीकृत कम्युटेड अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 25 जुलाई 2017 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. 1032-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1025-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 दिनांक 09 अगस्त 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित श्री ओंकार नाथ, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपाठ जबलपुर, जबलपुर के नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित “सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर” के स्थान पर “सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर” पढ़ा जावे।

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. 1047-गोपनीय-2017-दो-3-75-2017.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री निधि श्रीवास्तव, पंचन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव” करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल।

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील घटिया,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

घटिया, दिनांक 3 अगस्त 2017

प्रस्ताव - 'ख' [नियम— 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक— 2।/3।-3।/6।- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोब जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा मल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक— 30, मनावर, जिला— धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में वर्णित है, उपर्योग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त योग को ग्राहण में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपर्योग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्द है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवास के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला— उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपर्योग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	महूखेड़ी प.ह.न.—29	43/3 41/2 40/1 43/2 40/2 43/1 38	0.010 0.010 0.030 0.040 0.050 0.050 0.180
			7	0.370

प्रलेप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—22/प्र-७२/८-१८-१२ अतएव, राज्य सरकार को लोकहिन में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौड़ी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखोड़ा अल्ला, तहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यन्त्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—30, मनावर, जिला—धार (मप्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संतुष्ट अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपर्योक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 अन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त संविधान को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकरीस दिनसे के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट विछाये जाने के सब्द में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आदेष भेज सकेगा।

अनुसूची :

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डक्टेयर में)
1 उज्जैन	घटिया	बड़ोदिया काजी, प.ह.न.—28	4	5
			459	0.010
			457	0.010
			454/2	0.030
			454/1	0.050
			450	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हस्का क्षणक	खसरा क्षमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घड्हिया	बड़ोदिया काजी, पहन-28	453 452/2 423/1/1 424 402/1 425/1 428 427 401 395 394 381/2 135 134 131 120 121/2 126 122 123 104	0.100 0.010 0.010 0.070 0.070 0.070 0.030 0.030 0.070 0.140 0.010 0.140 0.020 0.010 0.040 0.080 0.060 0.050 0.080 0.050 0.110
		कुल योग	26	1.360

प्रस्तुप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—23/अ-४२/।।८—२ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—गालवा—गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर भैंजल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलगेर तहसील हातोंद जिला इन्दौर से ग्राम—बारखेड़ा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री, नर्मदा विलास संसाध कमांक—३०, मतामर, जिला—धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाइ जाए।

ओर अतएव राज्य सरकार को उपर भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछान के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आदेश यी घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकट्ठीर दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के समय में सक्षम शाखिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

“अनुसूची” :

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	नागपुरा, प.ह.न.—२९	५४८	०.०२०
			५०३	०.०१०
			५४१	०.०१०
			५०७	०.०४०
			५०९	०.०२०

जिला	पहसूल	ग्राम / पटवारी इलाका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली समि (हवाटेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	नागपुरा, प.ह.न.—29	508	0.020
			535	0.060
			209	0.080
			510	0.020
			511/1	0.010
			534/6	0.060
			515	0.040
			534/5	0.020
			534/4	0.010
			513	0.060
			514/2	0.030
			494	0.050
			495/3	0.020
			492	0.100
			488/2	0.010
			488/1	0.090
			482	0.050
			481	0.010
			233	0.130
			232	0.100
			231	0.020
			217/2	0.120
			217/1	0.050
			210	0.040
			208	0.070
			206/3	0.030
			206/1	0.020
			205/1	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली मूरि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जौन	घटिया	बोरखेड़ा भल्ला, प.हन.-04	257 256 248 258 239 245/3 245/2 260 261/1 244/2/1 243/2/1 243/1/1 244/3	0.010 0.060 0.020 0.070 0.110 0.040 0.010 0.050 0.030 0.100 0.010 0.020 0.040
		कुल योग	18	0.810

प्ररूप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक— 16/3। ४। १। ८। १। ७। अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में ग्रह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्सीदा—गोलवा—गोंधीर लिंक परियोजना की दोषी तट पाईप नहर में खल परिवर्तन हेतु ग्राम—बड़ीकरामपुर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा माला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन बंडी, नर्सीदा विकास समाग क्रमांक—३०, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डबट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डबट विषयने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डबट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डबट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रस्तृत शावित्री को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इवकीस दिनस के द्वितीय भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डबट विछाये जाने के सबध में सकाम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित ने आशेष भेज सकेगा।

अनुसूची :

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	झोकरा, प.ह.न.—०६	145	0.160
			146	0.020
			251/1	0.020
			251/2	0.100
			252/1	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जौन	घासिया	झोकरा, प.इ.न.-06	246	0.010
			247	0.080
			243	0.030
			199	0.030
			200/1	0.040
			208/1	0.010
			210	0.080
			201	0.090
			202/1	0.060
			207	0.010
			209	0.070
			212	0.170
			215	0.070
			216	0.030
			217	0.080
			222	0.060
			9/2	0.050
		कुल योग	22	1.360

प्रलेप—“ख”

[नियम— 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक— 1/2/3/32/16/4 अतएव, राज्य सरकार को लोकान्वित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंगीर लिंक परियोजना की दोनों तट पार्हप नहर में जल परिवहन हेतु शाम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भरत्ला, तहसील—घड़िया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन वार्ता, नर्मदा विकास समाक—30, मनावर जिला—धार (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त विविधों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घड़िया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी स्थलका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घड़िया	सिलोदारावल, प.ह.न.—26	107 106 100 99	0.010 0.050 0.010 0.090

जिला 1	तहसील 2	ग्राम / पटवारी हल्का कमाक 3	खसरा कमाक 4	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जान याली सूमि (हिक्टेहर में) 5
उज्जैन	घड्डिया	सिलोदारावल, प.ह.न.—26	98	0.070
			97/1	0.060
			81/2	0.040
			81/1	0.140
			84/1	0.020
			84/2	0.010
			83	0.010
कुल योग			11	0.510

प्ररूप—“ख”

[नियम— 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक 18/3-32/16-12 अंतर्गत राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गढ़ीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाइप नहर भेजत परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलगेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बारखेडा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संवाग कमोक—30, गढ़ीर जिला—धार (सप्र.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अंतर्गत राज्य सरकार को उत्तम भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अंतर्गत मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के उपर्योग आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसकीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसखा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेग्र में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	धूलमहू प.ह.न.—22	379/1 373/3 375/3 373/2 371/3	0.020 0.040 0.030 0.030 0.020

प्ररूप—‘ख’

{ नियम—5 का उपनियम (2) }

क्रमांक—14/पु-१२/१८-१३ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दौधी तट पाइप नहर गोबल परियहन हेतु ग्राम—चडीकलामेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बौरखेड़ा भरता, तहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास उपाय कमांक—३० अन्नावर जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट विणाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट विणने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डबट विणाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारी का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अवधि आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना संजापत्र में प्रकाशित होती है इवकीस विषय के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन केबल एवं डबट विणाये जाने के सबध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हरता क्रमांक	खासा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	खई प.ह.न.—०८	721 720 719 718/१ 709/१	0.050 0.050 0.050 0.040 0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हंडका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली शूमि (डब्ल्यूएच में)
1	2	3	4	5
उज्जौन	बहुया	फै	709/2	0.040
		प.हन-08	709/3	0.050
			708/2	0.020
			691	0.020
			690	0.040
			689	0.040
			692/2	0.090
			688	0.090
			684	0.070
			682	0.040
			683	0.010
			679	0.150
			466	0.040
			464	0.080
			463	0.090
			462	0.040
			461/1	0.010
			461/2	0.030
			461/3	0.030
			460	0.060
			220/1	0.080
			220/2	0.050
			218/1	0.100
			208	0.020
			207	0.020
			206	0.070
		कुल योग	31	1,610

प्ररूप—“ख”

(नियम—5 का उपनियम (2))

क्रमांक—15/ग्र-ख/16-12 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नरसंदा-मारवा-गमीर लिक परियोजना की दोयों तट पाइप नहर भेजल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इच्छार से ग्राम—बोरखेडा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन बंडी, नरसंदा विकास सभाग क्रमांक—३०, सनातर, जिला—घार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक—5 सन 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त राजिताओं को प्रयोग में लाने हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची से वर्णित भूमि में हितवद्दु है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकोइस दियस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को सिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

“अनुसूची”

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डक्टेवर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	खेड़ला, पहन—३०	279	0.070
			278/1	0.010
			281	0.010
			277/2	0.010
			286/2	0.020

निरत—२

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी ठस्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंतिम की जाने वाली दूरी (डिटेक्टर में)
1	2	3	4	5
उज्ज॒न	घटिया	खेडला, पहन-30	286/1	0.040
			285	0.050
			243/1	0.090
			243/2	0.030
			243/3	0.030
			225/2	0.010
			226/2	0.010
			224	0.010
			225/1	0.010
			226/1	0.010
			223	0.020
			213	0.010
			227/3	0.020
			227/2	0.030
			227/1	0.030
			228	0.020
			206/2	0.120
			206/3	0.020
			203/2	0.010
			203/3	0.020
			203/1	0.040
			203/5	0.020
			203/4	0.020
			195/2	0.010
		कुल योग	29	0.800

प्रलेप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—14/प्र-32/16/1 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-गालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौड़ी तट पार्श्व नहर गोला परियहन हेतु ग्राम-दड़ीकलगेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम-दोरखेड़ा अल्ला, तहसील-घटिया, जिला-उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—30, मनावर, जिला-धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट विविधों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की पोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिनांक के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (सिजरव), घटिया, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	रुड़ी प.ह.न.—08	721 720 719 718/1 709/1	0.050 0.050 0.050 0.040 0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमाक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्पित की जाने वाली रुमि (रुपयोग में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	रुड प.ह.न.-08	709/2 709/3 708/2 691 690 689 692/2 688 684 682 683 679 466 464 463 462 461/1 461/2 461/3 460 220/1 220/2 218/1 208 207 206	0.040 0.050 0.020 0.020 0.040 0.040 0.090 0.090 0.070 0.040 0.010 0.150 0.040 0.080 0.090 0.040 0.010 0.030 0.030 0.060 0.080 0.050 0.100 0.020 0.020 0.070
		कुल योग	31	1.610

प्रस्तुप—‘ख’

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—/५/३८४२/१८—१०... अतएव राज्य सरकार को लोकाछित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-यात्रा-गंगा पर लिक परियोजना की दोयों तल पाईप नहर भेजने परिवहन हेतु ग्राम—इडीकलामेर तहसील हातोंदर जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भरत्ता, तहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन बैठी, नर्मदा विकास समाग कमांक—३०, मनावर जिला—धार (मा.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाइ जाए।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सुलगत अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपचारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आवाय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपचारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है द्वारा सिर्फ उक्त के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम प्राप्तिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्ला क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित वी जाने वाली भूमि हिक्टेयर में
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	खेड़ा, प.ह.न.—३०	२७९	०.०७०
			२७८/१	०.०१०
			२८१	०.०१०
			२७७/२	०.०१०
			२८६/२	०.०२०

जिला 1	राष्ट्रीय 2	ग्राम / पटवारी ठत्या क्षणक 3	खसरा क्रमांक 4	उपयोग के अधिकार के लिये वासित हो जाने वाली मूलि (हजारमार में) 5
छज्जन	घाटिया	खेडला, प.ह.न.-30	286/1	0.040
			285	0.050
			243/1	0.090
			243/2	0.030
			243/3	0.030
			225/2	0.010
			226/2	0.010
			224	0.010
			225/1	0.010
			226/1	0.010
			223	0.020
			213	0.010
			227/3	0.020
			227/2	0.030
			227/1	0.030
			228	0.020
			206/2	0.120
			206/3	0.020
			203/2	0.010
			203/3	0.020
			203/1	0.040
			203/5	0.020
			203/4	0.020
			195/2	0.010
		कुल योग	29	0.800

प्रलेप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—16/अ-३-१/१८-१७ अतएव, राज्य सरकार को लोकसभा में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्सा—मालवा—गढ़ीर लिंक परियोजना की दोषी तट पाइप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलामर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बौखेड़ा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन एवं नर्सा विकास समाग्र क्रमांक—30, मनापर, जिला—धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन के बल एवं डक्ट विधाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन के बल एवं डक्ट विधान के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइपलाईन के बल एवं डक्ट विधाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारी का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन के बल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आराय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्दु है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस तिलम के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन, के बल एवं डक्ट विधाये जाने के संबंध में सक्रम प्राप्तिकारी एवं अनुविगमीय अधिकारी (राजस्व, घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्कदार में)
1 उज्जैन	घटिया	झोकरा, प.ह.न.—06	145	0.160
			146	0.020
			251/1	0.020
			251/2	0.100
			252/1	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली मुदि (डॉलरमय में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घण्टिया	झोकरा, प.इ.न.-06	246	0.010
			247	0.080
			243	0.030
			199	0.030
			200/1	0.040
			208/1	0.010
			210	0.080
			201	0.090
			202/1	0.060
			207	0.010
			209	0.070
			212	0.170
			215	0.070
			216	0.030
			217	0.080
			222	0.060
			9/2	0.050
		कुल योग	22	1.360

प्ररूप—“ख”

(नियम—5 का उपनियम (2))

क्रमांक—12/अ-32/1/649—अतएव, राज्य सरकार को लोकालित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंगीर लिंक परियोजना की दोषी पट्ट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु धारा—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भवला, तहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन भवी, नर्मदा विकास भवाग कमांक—30, भागावर, जिला—धार (भप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट विभाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट विभाई के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि ने, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट विभाई जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डबट भूमि के उपयोगका के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अस्तित्व को प्रयोग में लाने हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

काई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्द है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन केबल एवं डबट विभाई जाने के संबंध में सकम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	धारा / पटवारी फलक कमांक	खसार कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डबटर में)
1 उज्जैन	घटिया	सिलोदारावल, पहल—26	4	5
			107	0.010
			106	0.050
			100	0.010
			99	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / भटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	सिलोदारावल, प.ह.न—26	98	0.070
			97/1	0.060
			81/2	0.040
			81/1	0.140
			84/1	0.020
			84/2	0.010
			83	0.010
		कुल योग	11	0.510

प्रलेप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—/३/३-१२/१६—। अतएव राज्य सरकार को सोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक भूमियोजना की दोस्री तट पाईप नहर गंगा नदी परिवहन हेतु ग्राम—बड़ोकलमर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन वंची, नर्मदा विकास समाग्र क्रमांक—३०, मनावर, जिला—धार (भप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्ता भूमिगत पाईपलाईन योग्यता एवं डक्ट विछाई के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संसाच अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भप्र के उपयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसकीस दिनस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के समय में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / गटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डक्टपर में)
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	धूलमढ़ प.ह.न.—२२	३७९/।	०.०२०
			३७३/३	०.०४०
			३७५/३	०.०३०
			३७३/२	०.०३०
			३७१/३	०.०२०

प्रकृप— “ख”

[नियम- 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—18/31-92/16-12 अंतर्राष्ट्रीय राज्य सरकार को लोकाहित में अहं अधिकारक प्रतीत होता है कि नगद—मालवा—गढ़ी लिंक परियोजना की हाँची तट पाईप नहर खेती परिवहन छेत्र धारा—बड़ीकलमें तहसील छातोद जिला इन्दौर से धारा—बोरखेड़ा भरला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जौन तक अधिकारक राज्य कार्यपालन घंटी, नमदा विकास समार क्रमांक—30, भनावर जिला—धारा (सप्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट बिछाई जाए।

ओर अंतर्राष्ट्रीय राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह अधिकारक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपरांत के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्त॑त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम मी धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकाईस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में राज्य प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जौन मध्यप्रदेश को लिखित में आशेष में संकेता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	धारा / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जौन	घटिया	धूलमहू प.ह.न.—22	379/1 373/3 375/3 373/2 371/3	0.020 0.040 0.030 0.030 0.020
			371/2 372 155/1 146/5/2 146/6	0.020 0.100 0.150 0.100 0.030
		कुल योग	10	0.540

प्राप्ति—“ख”
[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—1/१/३५१२/१६—। अतएव, राज्य सरकार को लोकहत से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्सदा—मालवा—गोमीर लिक परियोजना की दोषी तट पाइप नहर मेंगल परिवहन देतु ग्राम—दड़ीकलमेर तहसील हातोड जिला इन्डोर से ग्राम—बारछेडा भल्ला, तहसील—चट्टिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्पोरेशन यंत्री नर्सदा विकास संभाग क्रमांक—३०, मनाष्ठर, जिला—धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाइ जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सतत अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आप में घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्द देता है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकार प्राधिकारी एवं अनुबिमार्गीय अधिकारी (राजस्व), चट्टिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हस्तका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अप्रित को जाने वाली भूमि (डक्टेशन में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	चट्टिया	सेमल्याबीबी, प.ह.न.—०८	246/1 245/3 245/2 245/1 239 238/2 235/2	0.080 0.060 0.050 0.050 0.130 0.080 0.030
		कुल योग	7	0.480

प्रष्टप—“ख”

{ नियम—5 का उपनियम (2) }

क्रमांक—20/35-82/16-।७ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-गालवा-गंगीर तिक परियोजना की दोधी स्ट पाईप नहर बैबल परिवहन ड्टु ग्राम-बड़ीकलगर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम-बोरखेड़ा भल्ला, तहसील-घटिया, जिला-उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन एवं नर्मदा विकास सम्बाग क्रमांक—30, मनावर जिला-घार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि से, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सतत अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्यतियों का अर्जन अधिसूचना से सतत अनुसूची में वर्णित हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकी उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इसको संवित्र के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम प्राधिकारी एवं अनुक्रियागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्ला क्रमांक	खस्ता क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली दरमि (डेक्टेशन में)
1 उज्जैन	2 घटिया	3 नईखेड़ी, म.ह.न.—28	4	5
			235	0.100
			234	0.050
			233	0.060
			230/4	0.090
			223/1	0.130

// 2 //

जिला	लालभोट	ग्राम / पटवारी ठस्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	नईखड़ी, प.ह.न.-28	224/1 198 199 185 187 184/1 182 179 180	0.150 0.090 0.050 0.070 0.010 0.010 0.180 0.010 0.090 1.090
		कुल योग	14	

प्रस्तुप—“ख”
[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्रमांक—२१/३०३४/८८ अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाइप नहर मेंजलि परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोदार जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा खल्ला, तहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यन्त्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—३०, मनामर जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विधाने के

ग्रामों के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विधाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलान अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगका के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ मार्च 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग से लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में डितायद्वा है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसकीस वितरण के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट विधाये जाने के सबध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजसर), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित से आक्षेप भेज सकेगा।

“अनुसूची”

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अधित की गाने वाली भूमि (हेक्टेग्र में)
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	महूखेड़ी प.ह.न.—२९	४३/३ ४१/२ ४०/१ ४३/२ ४०/२ ४३/१ ३८	०.०१० ०.०१० ०.०३० ०.०४० ०.०५० ०.०५० ०.१८०
		कुल योग्य	७	०.३७०

प्रस्तुप—“ख”

[नियम— ५ का उपनियम (2)]

क्रमांक—२२/अ-३२/१६-४७ अतएव, राज्य सरकार को सोकड़हिल में यह परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हालोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा पहला, तहसील—घटिया धार (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाने के अवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंग परियोजना की दोस्री तट पाईप तहर में जल जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन बंडी, नर्मदा विकास समाचार क्रमांक—३०, मनावर जिला—धार (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलान अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपर्योक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार आ अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्धु है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसको स दिन स के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सकार प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आवेदन भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी ठल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेकर में)
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	बड़ोदिया काजी, प.हन—२८	459	0.010
			457	0.010
			454/2	0.030
			454/1	0.050
			450	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हस्तका क्रमांक	खसरा क्रमांक	सप्तयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेर में)
1	2	3	4	5
उज्जेन	घड्डिया	बड़ोदिया काजी प.ह.न.-28	453	0.100
			452/2	0.010
			423/1/1	0.010
			424	0.070
			402/1	0.070
			425/1	0.070
			428	0.030
			427	0.030
			401	0.070
			395	0.140
			394	0.010
			381/2	0.140
			135	0.020
			134	0.010
			131	0.040
			120	0.080
			121/2	0.060
			126	0.050
			122	0.080
			123	0.050
			104	0.110
		कुल योग	26	1.360

प्रश्न—“ख”

(नियम—5 का उपनियम (2))

क्रमांक—23/अ० ३२/१६/८२ अंतर्वर, राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोषी तट पाइप नहर मैजल परिवहन हेतु याम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से याम—बोरखेड़ा मल्ला, उहसील—घटिया जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—३०, मतावर, जिला—धार (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और अंतर्वर राज्य सरकार को उस भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अंतर्वर, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (यूपि के उपयोगता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ सन् २०१३) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शर्यतियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसका उस अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना साजपत्र में प्रकाशित होती है इवकीम दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम प्राधिकारी एवं अनुबिमारीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला—उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	याम / पटवारी हल्का क्रमांक	खस्ता क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली यूपि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
उज्जैन	घटिया	नागपुरा, पहन—२९	५४८	०.०२०
			५०५	०.०१०
			५४१	०.०१०
			५०७	०.०४०
			५०९	०.०२०

जिला	पहसूल	शाम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली शुमि (हरटोड़ेर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	नागपुरा, प.ह.स.—29	508	0.020
			535	0.060
			209	0.080
			510	0.020
			511/1	0.010
			534/6	0.060
			515	0.040
			534/5	0.020
			534/4	0.010
			513	0.060
			514/2	0.030
			494	0.050
			495/3	0.020
			492	0.100
			488/2	0.010
			488/1	0.090
			482	0.050
			481	0.010
			233	0.130
			232	0.100
			231	0.020
			217/2	0.120
			217/1	0.050
			210	0.040
			208	0.070
			206/3	0.030
			206/1	0.020
			205/1	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली शूमे (एक्टेयर में)
1	2	3	4	5
छज्जौन	घाटिया	नागपुरा, प.ह.न—29	206/4	0.010
			203/2	0.110
			203/1	0.050
			199	0.150
			71	0.080
			68	0.040
			67/1	0.010
			67/2	0.080
			65/3	0.010
			65/1	0.010
			64/3	0.020
			65/2	0.010
			64/2	0.020
			64/4/2	0.020
			64/6	0.020
			64/5	0.020
			64/4/1	0.030
			64/1	0.030
			58	0.020
			57	0.020
		कुल योग	53	2.220

प्र॒ल॒प—“ख”

[नियम— 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक— 24/3/-32/6-17 अतारव, राज्य सरकार को लोकहित में सह आवश्यक प्रतीत होता है कि नमदा-मालवा-गढ़ीर लिंक परियोजना की दोषी तट पाईप नहर भेजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलगंव तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नमदा विकास रामाग क्रमांक— 30, मानवर, जिला- धार (मप्र) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतारप राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो उस अधिसूचना से सलान अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतारप, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को ग्राहण में लाने हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है उपकीर्ण द्वारा के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टाली हस्तक्षेप क्रमांक	खासग	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	बोरखेड़ा भल्ला, प.ह.न.—04	253 254/1 254/2 251 255	0.080 0.010 0.040 0.040 0.070

जिला	पठारील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये आजित की जाने वाली मात्रा (डिल्टर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बोरखेड़ा भल्ला, पहन-04	257 256 248 258 259 245/3 245/2 260 261/1 244/2/1 243/2/1 243/1/1 244/3	0.010 0.060 0.020 0.070 0.110 0.040 0.010 0.050 0.030 0.100 0.010 0.020 0.040
		कुल योग	18	0.810

एस. आर. सोलंकी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).